

p2



ओवैसी राम मंदिर के साथ ही-
उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध

..... इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज़ पेपर.....

ए.आर. रहमान-
'गैंग' मेरे खिलाफ अफवाह फैलाता है

p11



सेन्सर टाइम्स

www.censortimes.com

डाक पंजीयन क्रमांक-एमपी/आईडीसी/1117/2019-2021

वर्ष-17

अंक-5

मासिक

1 अगस्त 2020

पृष्ठ-12

मूल्य- पाँच रुपये

खत्म होगा

500 वर्षों का वनवास

नया इतिहास

p4

भाजपा में सिंधिया के विरोध में आवाज उठाने
वालों से कुछ सवाल

p3



रक्षा सौदे मामले में जया जेटली की
सजा पर लगी

p12



अन्दर के पृष्ठ पर.....

हाशिये पर 'कमंडल' की राजनीति
राम मंदिर निर्माण के साथ ही - P-5

कई जंगों में खुद को बेहतरीन
लड़ाकू विमान साबित कर चुका है P-6

सोनू सूद
लाक डाउन में बना मसिहा P-11

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
गागर में सागर - सिन्हा P-12

सम्पादक की कलम से

चीन की विस्तारवादी नीति के कारण चीन का सीमा विवाद केवल भारत व भूटान से ही नहीं बल्कि सभी 18 पड़ोसियों से है। यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) जैसी इंटरनेशनल संस्था और वैश्विक दबाव को भी वह अगुंठा दिखाता रहा है। स्पार्टली द्वीप विवाद में फिलीपीन के पक्ष में आए आईसीजे के निर्णय को भी उसने नजरअंदाज कर रखा है। अधिकारियों के मुताबिक लद्दाख में पीएम मोदी के विस्तारवाद का जिक्र करने से तिलमिलाए चीन ने तत्काल बयान नहीं दिया। जबकि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम भी नहीं लिया था। चीन ने कहा था कि उसने 14 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद शांति से सुलझाया है जबकि हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। अब प्रारंभ करते हैं भारत से। चीन का सीमा विवाद करीब 3500 किलोमीटर एलएसी पर है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कहीं भी विवाद खड़ा कर देता है। ताजा विवाद पूर्वी लद्दाख के चार जगहों पर है। इसके अलावा चीन भारत के 38000 वर्ग किलोमीटर वाले आक्साईचिन पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। भूटान—कुछ दिन पहले ही भूटान के पूर्वी भाग में पहली बार दावेदारी जताकर चीन ने नया विवाद खड़ा किया है। वह भूटान के उत्तरी और पश्चिमी भाग में दावेदारी जताता रहा है।

जापान के साथ दक्षिण चीन सागर, सेंकावू और टिउकेऊ द्वीप पर पुराना विवाद है। जापान के वायुसेना और ईईजेड को लेकर गंभीर तनातनी बनी रहती है। ब्रुनई का एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन (ईईजेड) दक्षिण चीन सागर तक जाता है।

चीन अपनी दादागिरी दिखाकर ब्रुनई के ईईजेड के खासे भाग को अपना घोषित कर चुका है। मलेशिया—इससे लगने वाले दक्षिण चीन सागर और ईईजेड में दावेदारी। लाओस में चीन आलोस को 1271 से 1368 तक राज करने वाले अपने यूआन वंश का हवाला देकर पूरे लाओस की चीन का हिस्सा करार दे चुका है। वंबोडिया में भी लाओस की तरह वंबोडिया को भी 1368 से 1644 तक राज करने वाला मिग वंश का हवाला देकर अपना हिस्सा मानता है। चीन की दलील है कि इन शासनकाल में वंबोडिया और लाओस में था। थाइलैंड में मेकांग नदी में चीन जबरन अपने मालवाहक जहाज से जाता है। चीन यूनान से दक्षिण-पूर्व एशिया तक अपना माल भेजने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करता है। वियतनाम मेक्कालेस फील्ड टट, पारासेल और स्पार्टले द्वीपों को लेकर विवाद के साथ दक्षिण चीन सागर में चीनी दखल का वियतनाम जबरदस्त विरोध कर रहा है।

नेपाल—दो लाख में तीन पिलर और माउंट एवरेस्ट इलाके में दो पिलर को लेकर नेपाल से पुराना विवाद है। चीन नेपाल के कुछ हिस्से को तिब्बत का हिस्सा मानता है।

ताइवान—लाओस की तरह यूनान वंश के आधार पर पूरे ताइवान पर दावेदारी करता है। कजाकिस्तान के 34000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावेदारी। उत्तरी कोरिया—माउंट पिकटू, माल तुमेरी नदी पर विवाद, पूरे उत्तरी कोरिया पर दावेदारी।

दक्षिण कोरिया—पूर्वी चीन सागर में लिओडो पर विवाद, जापान की तरह एयरडिपेंस आइडेंटिफिकेशन जोन पर विवाद। किर्गिस्तान—चीन पूरे किर्गिस्तान पर दावेदारी जताता है। फिलहाल 7250 वर्ग किलोमीटर को लेकर विवाद। ताजिकिस्तान में तनाव बनाकर ताजिकिस्तान से 1999 में 200 वर्ग किलोमीटर और 2002 में 1122 वर्ग किलोमीटर जमीन ले चुका है। अभी कई इलाकों में चीन की दावेदारी है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ भारत से ही चीन का विवाद है गलत होगा। उसकी विस्तारवादी नीति के कारण कई देशों से उसका विवाद चल रहा है।

राम मंदिर के साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी विरोध कर रहे हैं ओवैसी

डॉ. कुमारगोपाल मिश्र



ए.आई.एम.आई.एम. (ऑल इंडिया मजलिस ए एतिहाद उल मुसलमीन) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर राममंदिर के विरुद्ध स्वर मुखर करने का असफल प्रयत्न किया है। ओवैसी परतंत्र भारत में बनी उस राजनीतिक पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जो धर्म की एकांकी छद्म राजनीति पर टिकी है, जिसमें भारतीयता अथवा संपूर्ण भारतीय समाज के लिए कोई स्थान नहीं है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना 'हम भारत के लोग' के स्थान पर अलिखित समूह बोध 'हम भारत के मुसलमान' की संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है और स्वयं को सभी भारतीय मुस्लिम नागरिकों की स्वयंभू प्रतिनिधि समझती है। वस्तुतः यह मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनवा लेने वाली अलगाववादी-विभाजनकारी मानसिकता की विषवल्ली है जो स्वतंत्र भारत में तुष्टीकरण का खाद-पानी प्राप्त कर भारतीय समाज को विघटित और विषाक्त करने के लिए पुनः सक्रिय है। इस दल के नेताओं के उत्तेजक बयान इसी ओर संकेत करते हैं। सन् 2014 से पूर्व तक भारतीय राजनीति से जीवनशक्ति अर्जित करने वाली इस दल की कूट योजनाएं केंद्र में भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ ही बाधित हुई हैं। इसलिए इस दल के नेतृत्व में बौखलाहट स्वाभाविक है। केंद्र में कांग्रेसी सरकारों का प्रायः समर्थन करने वाला यह दल भाजपा सरकार के प्रत्येक कार्य पर उंगली उठाता रहा है।

कश्मीर में आतंकवादी संगठनों पर लगाम कसने, धारा 370 हटाने, पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक होने, राम मंदिर के पक्ष में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने से लेकर अब राममंदिर की नींव रखे जाने तक ओवैसी निरंतर केंद्र सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब लगभग सभी मुस्लिम संगठनों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूरे अथवा आधे-अधूरे मन से स्वीकार कर विवाद समाप्त कर दिया है और देश के बहुसंख्यक समाज के साथ चलने का मन बना लिया है तब भी ओवैसी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर असंतोष और अविश्वास प्रकट करते हुए आग लगाने के कुटिल प्रयत्नों में व्यस्त हैं। न्यायालय, संविधान और सरकार ओवैसी और उनके समर्थकों को तब ही तक मान्य हैं जब तक इन संस्थाओं के कार्य उनके मनोकूल हों। अपनी दुरभिलाषाओं और स्वाधों के विरुद्ध कोई भी कार्य अथवा निर्णय उन्हें कभी स्वीकार्य नहीं। यह पृथक्तावादी मानसिकता देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक-समरसता के विरुद्ध है। यह अलग बात है कि उनकी यही मानसिकता कट्टर मुस्लिमों के बीच उनकी लोकप्रियता का आधार है; उनकी शक्ति है और उनके भारतीय राजनीति में बने रहने का सुगम राजपथ है।

भारतवर्ष में अमीर खुसरो और जायसी से लेकर नजीर अकबराबादी एवं अकबर इलाहाबादी तक, हुमायूँ और दाराशिकोह से लेकर आज की राजनीति में सक्रिय अनेक मुस्लिम नेताओं तक ऐसे मुस्लिम बंधुओं की कोई कमी नहीं है जो भारतीय समाज में रच बस कर जीना जानते हैं; जीना चाहते हैं किंतु देश के दुर्भाग्य से मध्यकाल से लेकर आज तक इस देश की राजनीति में हिंदुओं ने उदारवादी मुस्लिमों के स्थान पर कट्टर कठमुल्लाओं को ही सिर पर बैठाया। उदारवादी दाराशिकोह के स्थान पर कट्टरपंथी औरंगजेब को सत्ता दिलाई। अकबर इलाहाबादी जैसे उदार शायर को हाशिए पर धकेल कर पाकिस्तान के विचार को आधार देने वाले इकबाल को महत्व दिया। कट्टरता के पोषण की यही भयानक भूल भारतीय-समाज में जब-तब सांप्रदायिक दंगों की आग भड़काती है और कश्मीर घाटी से हिंदुओं को पलायन पर विवश करती है। कितने दुख और आश्चर्य का विषय है कि राज्य और केंद्र की सरकारें देखती रह जाती हैं और हत्या, बलात्कार लूट-पाट करके कश्मीरी पंडितों को उनके मूल स्थान से विस्थापित करने वालों के विरुद्ध एक भी अभियोग कहीं दर्ज नहीं होता; एक भी अपराधी को सजा नहीं मिलती। देश की धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक सरकार और विश्व के बड़े-बड़े मानवाधिकारवादी संगठन मूक दृष्टा बने रहते हैं। आखिर क्यों ? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।

एक विवादित ढांचा ढहाए जाने पर श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को अपार कष्ट होता है किंतु भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च आदि के तोड़े जाने पर वे कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराते। आखिर क्यों ? कल्पना कीजिए जब एक विवादित ढांचा ढह जाने पर ओवैसी और दाऊद जैसों को इतनी पीड़ा पहुंचती है तो विगत 800 वर्षों में इस देश के 3000 से अधिक मंदिरों को ढहाए जाने और उन पर मस्जिदें खड़ी किए जाने से धर्मप्राण हिंदू कितनी पीड़ा हृदय में दबाए हैं। राजा जयचन्द, मानसिंह और जयसिंह जैसी मानसिकता वाले लोगों को भले ही कोई कष्ट न हो किन्तु महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह जैसे बलिदानी एवं संघर्षशील वीरों के वंशज तो निश्चित रूप से पीड़ित हैं।

सामान्यतः मंदिर अथवा मस्जिद में कोई भेद नहीं। दोनों ईश्वर की आराधना के ही स्थल हैं किंतु जब किसी मंदिर को विजेता भाव से ढहाकर, उसमें स्थापित-पूजित मूर्तियों को तोड़कर अस्मिता और आस्था पर आघात किया जाता है तब वह स्वाभिमान को आहत कर कसक बनकर बार-बार उभरता है और बलपूर्वक अधिकृत की गई संपदा की पुनः प्राप्ति तक अनंत संघर्ष की प्रेरणा देता है। राममंदिर की संघर्ष-कथा इसी विजय की गौरवशाली बलिदान-गाथा है।

इतिहास के लिखित और पुरातात्विक तथ्यों से तर्क-कुतर्क का अनंत विवाद खड़ा किया जा सकता है किंतु इस निर्दय सत्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि सशस्त्र सैन्य-बल के सहारे भारत में इस्लाम का विस्तार करने वालों ने यहां के मंदिर ध्वस्त किए; मूर्तियां तोड़ीं। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ का ध्वंस किए जाने के 1000 वर्ष बाद आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिर-गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन की छाया में भी सांप्रदायिक दंगों के समय मूर्तियों और मंदिरों पर आक्रमण होते हैं। अतः अतीत और वर्तमान के इन कटु अनुभवों के आलोक और विवादित ढांचे के नीचे खुदाई में मिले मंदिर के अवशेषों-मूर्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह विवादित ढांचा मंदिर के स्थान पर स्थित था और मंदिर की सामग्री से निर्मित भी था। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक साक्ष्यों के आधार पर इसीलिए मंदिर-निर्माण के पक्ष में निर्णय दिया है किन्तु ओवैसी इन तथ्यों पर विचार कर वस्तुस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और किसी नये संघर्ष की जमीन तैयार करने में व्यस्त हैं। उनका यह व्यवहार भारतीय समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

ओवैसी बार-बार कहते हैं कि वे सदा याद रखेंगे कि राममंदिर वाली भूमि पर 400 वर्ष से मस्जिद थी जिसे गिराकर मंदिर बनाया जा रहा है। वे यह बात अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे ताकि इस संघर्ष को अनंत काल तक जीवित रखा जा सके। अब जातीय-स्मृति की यह विरासत यदि हिंदुओं ने भी अपनी स्मृति में पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखकर अगर उच्चतम न्यायालय से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर ली है तो इसमें बुराई ही क्या है ? रामजन्म भूमि-निर्णय के उपरांत विवाद शांत हुआ है। एक बार फिर सांप्रदायिक सद्भाव का अवसर बना है किंतु यदि इस्लामिक कट्टरता पुनः रस में विष घोलने का पाप करेगी तो परिणाम निश्चय ही भयावह होंगे। अब यह समझ लेना अत्यावश्यक है कि आज की परिस्थितियाँ मध्यकाल से भिन्न हैं। अब कोई गजनवी, कोई बाबर अथवा औरंगजेब सशस्त्र सैन्यबल के सहारे किसी धर्मस्थल का ध्वंस नहीं कर सकता। किसी की चुराई या छिनी हुई वस्तु को यदि उसका वास्तविक स्वामी उसे किसी प्रकार पुनः प्राप्त कर ले तो चोर-लुटेरे को मलाल नहीं होना चाहिए। उसे यह विचार करके संतोष रखना चाहिए कि वह वस्तु तो उसकी थी ही नहीं। जिसकी थी उसके पास वापस चली गई। इसमें दुख कैसा ?

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से मप्र में कांग्रेस नेतृत्व विहीन होकर रह गई है। आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 70 पार वाले नेता हैं और दोनों के पुत्रों को मप्र की सियासत में स्थापित होने में लंबा वक्त लगेगा। सिंधिया का आकर्षक व्यक्तित्व और ऊर्जा बीजेपी के लिए मप्र भर में अपनी जमीन को फौलादी बनाने में सहायक हो सकती है। सिंधिया के लिए भी बीजेपी एक ऐसा मंच और अवसर है जिसके साथ सामंजस्य बनाकर वह जीवन की हर सियासी महत्वाकांक्षा को साकार कर सकते हैं क्योंकि यहां एक व्यवस्थित संगठन है, अनुशासन है और एक सशक्त आनुषंगिक नेटवर्क है। कांग्रेस में यह सब नहीं था केवल चुनाव लड़ने वालों की फौज भर थी। बीजेपी के लिए सिंधिया का महत्व भी कम नहीं है उनके प्रभाव का राजनीतिक फायदा स्वयंसिद्ध है।

भाजपा में सिंधिया के विरोध में आवाज उठाने वालों से कुछ सवाल

डॉ. अनसुखा



सवाल यह है कि जब बीजेपी का राजनीतिक दर्शन 'पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी' बनाने का है तब मप्र में सिंधिया प्रहसन पर सवाल ज्यों उठाये जा रहे हैं? ज़्यादा यह तथ्य नहीं है कि सिंधिया के कारण ही मप्र जैसे बड़े राज्य में पार्टी को फिर से सजा हासिल हुई।

मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के दलबदल के साथ ही मुरझाए हुए हैं। कैबिनेट के गठन के बाद तो मामला सन्निपात-सा हो गया है। बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से पार्टी में एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है कि बाहर से आये नेताओं को समायोजित करने से पार्टी का कैंडर ठगा महसूस कर रहा है। कैंडर के हिस्से की सत्ता दूसरे दलों से आये नेता ले जा रहे हैं।

इस विमर्श के अक्स में बीजेपी की विकास यात्रा पर नजर दौड़ाए जाए तो स्पष्ट है कि सिंधिया के आगमन और उनकी धमाकेदार भागीदारी बीजेपी में कोई नया घटनाक्रम नहीं है। आज की अखिल भारतीय भाजपा असल में राजनीतिक रूप से गैर-भाजपाइयों के योगदान का भी परिणाम है। जिन सिंधिया को लेकर बीजेपी का एक वर्ग आज प्रलाप कर रहा है उन्हें याद होना चाहिये कि 1967 में सिंधिया की दादी राजमाता विजयाराजे अगर कांग्रेस छोड़कर बारास्ता स्वतन्त्र पार्टी जनसंघ में न आई होती तो क्या मप्र में इतनी जल्दी पार्टी का कैंडर खड़ा हुआ होता?

एक बहुत ही प्रेक्टिकल सवाल विरोध के स्वर बुलन्द करने वालों से पूछा जा सकता है कि क्या वे जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके आसपास की विधानसभा सीटों में उनकी भीड़ भरी सभाएं सिंधिया की टक्कर में आयोजित की जा सकती हैं? क्या देश भर में सिंधिया की उपयोगिता से कोई इनकार कर सकता है? क्या मप्र में सिंधिया के भाजपाई हो जाने से कांग्रेस का अस्तित्व संकट में नहीं आ गया?

रही बात बीजेपी कैंडर की तो वह सदैव ही यह चाहता ही है कि उसकी पार्टी के व्यास का विस्तार हो। यह निर्विवाद तथ्य है कि बीजेपी में उसकी रीति नीति को आत्मसात करने वाले ही आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा भी नहीं कि बाहर से आये सभी नेताओं के अनुभव खराब हैं। मप्र में जनसंघ के अध्यक्ष रहे शिवप्रसाद चिनपुरिया मूल कैंडर के नहीं थे। इसी तरह ब्रजलाल वर्मा भी बीजेपी में बाहर से आकर प्रदेश अध्यक्ष तक बने। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मप्र में सिंधिया के दबाव में 14 मंत्री बना दिए हैं लेकिन पार्टी ने बहुत ही करीने से अपने नए कैंडर को मप्र की राजनीति में मुख्य धारा में खड़ा कर दिया है। मसलन कमल पटेल, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, अरविंद भदौरिया (सभी विद्यार्थी परिषद) को मंत्री बनाकर खांटी संघ कैंडर को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उषा ठाकुर, भूपेंद्र सिंह, भारत सिंह कुशवाहा, प्रेम पटेल, कावरे, मीना सिंह जैसे जन्मजात भाजपाईयों को जिस तरह मंत्री बनाया गया है उसे आप पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग बेस्ट पीढ़ीगत बदलाव भी कह सकते हैं।

जाहिर है जो मीडिया विमर्श बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे संरेड दिखाता है उसके उलट मप्र में नए नेतृत्व की स्थापना को भी देखने की जरूरत है। मप्र में पार्टी के मुखिया के रूप में बीड़ी शर्मा की ताजपोशी की क्या किसी ने कल्पना की थी। बीड़ी शर्मा असल में मप्र की भविष्य की राजनीति का चेहरा भी हैं वे पीढ़ीगत बदलाव के प्रतीक भी हैं। यानी मप्र में दलबदल के बावजूद वैचारिक अधिष्ठान से निकला कैंडर मुख्यधारा

में सदैव बना रहा है। राजमाता सिंधिया को बीजेपी ने सदैव राजमाता बनाकर रखा, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बारी है कि वे अगर अपनी दादी के सियासी अक्स को अपने जीवन में 25 फीसदी भी उतार सकें तो वह भी महाराजा की तरह प्रतिष्ठित पायेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तो उनको राजमाता की तरह ही अवसर उपलब्ध करा दिया है। वैसे बीजेपी में बाहर से आये नेताओं को उनकी निष्ठा के अनुसार सदैव प्रतिष्ठा मिली है। मप्र की सियासत के ताकतवर चेहरे डॉ. नरोत्तम मिश्रा का परिवार कभी कांग्रेस में हुआ करता था उनके ताऊ प. महेश दत्त मिश्र कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं लेकिन नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद आगे बढ़ाया।

हरियाणा में दूसरी बार बनी बीजेपी की खट्टर सरकार में आधे से ज्यादा मंत्री विधायक मूल बीजेपी के नहीं हैं। यहीं से निकली सुषमा स्वराज लोकसभा में पार्टी की नेता और देश की सबसे लोकप्रिय बीजेपी वक्ताओं में शामिल रहीं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के आधे मंत्री कांग्रेस से आए। जिस पूर्वोत्तर में कभी बीजेपी का विधायक जीतना बड़ा प्रतीत होता था वहां आज कमल और भगवा की बयार है। आसाम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल मूलतः बीजेपी के नहीं हैं इसी आसाम से निकलकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में वामपंथ और कांग्रेस का सफाया कराने वाले हिमंता विश्व सरमा जिंदगी भर कांग्रेसी रहे हैं लेकिन पिछले 7 साल से वे बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट में मजबूत बुनियाद बनकर उभरे हैं। त्रिपुरा में भी बीजेपी सरकार की नींव में तमाम कम्युनिस्ट शामिल हैं। बैटल फाइट

ऑफ सरई घाट केवल बीजेपी कैंडर के दम पर नहीं जीता गया है त्रिपुरा में। बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी सभी राज्यों में अगर बीजेपी ने चमत्कारिक विस्तार हासिल किया है तो इसके मूल में बाहर यानी अन्य राजनीतिक दलों से आये लोगों का योगदान अहम है। सिकन्दर बख्त, आरिफ बेग, हुकुमदेव नारायण यादव, नजमा हेपतुल्ला, रामानन्द सिंह, चन्द्रमणि त्रिपाठी से लेकर तमाम फेहरिस्त है जो बाहर से आये और बीजेपी में रच बस गए।

सवाल यह है कि जब बीजेपी का राजनीतिक दर्शन 'पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी' बनाने का है तब मप्र में सिंधिया प्रहसन पर सवाल क्यों उठाये जा रहे हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि सिंधिया के कारण ही मप्र जैसे बड़े राज्य में पार्टी को फिर से सत्ता हासिल हुई। क्या सवाल उठाने वाले चेहरों ने सत्ता बनी रहे इसके लिए अपने खुद के योगदान का मूल्यांकन ईमानदारी से किया है? क्या इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि सिंधिया प्रहसन पर आपत्ति केवल उन लोगों को है जीवन भर बीजेपी में रहकर दल से बड़ा देश अपने मन मस्तिष्क में उतार ही नहीं पाए।

तथ्य यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से मप्र में कांग्रेस नेतृत्व विहीन होकर रह गई है। आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 70 पार वाले नेता हैं और दोनों के पुत्रों को मप्र की सियासत में स्थापित होने में लंबा वक्त लगेगा। सिंधिया का आकर्षक व्यक्तित्व और ऊर्जा बीजेपी के लिए मप्र भर में अपनी जमीन को फौलादी बनाने में सहायक हो सकती है। सिंधिया के लिए भी बीजेपी एक ऐसा मंच और अवसर है जिसके साथ सामंजस्य बनाकर वह जीवन की हर सियासी महत्वाकांक्षा को साकार कर सकते हैं क्योंकि यहां एक व्यवस्थित संगठन है, अनुशासन है और एक सशक्त आनुषंगिक नेटवर्क है। कांग्रेस में यह सब नहीं था केवल चुनाव लड़ने वालों की फौज भर थी।

बीजेपी के लिए सिंधिया का महत्व भी कम नहीं है उनके प्रभाव का राजनीतिक फायदा स्वयंसिद्ध है। इससे पहले भी राजेन्द्र शुक्ला, रीवा, गोपाल भार्गव, सागर जैसे लोग बीजेपी में बाहर से आकर आज पार्टी के नीति-निर्माताओं में शुमार हैं। बघेलखण्ड में राजेंद्र शुक्ला को अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी जैसे नेताओं की टक्कर में खड़ा किया जाना कम बड़ी बात नहीं है। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, धार, झाबुआ, बड़वानी, आलीराजपुर जैसे इलाकों में तो मूल पिंड के बीजेपी नेता आरम्भिक दौर में बहुत ही कम थे। आज इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी का मजबूत जनाधार है।


असल में आज बुनियादी आवश्यकता इस बात की है कि बीजेपी संगठन की प्रभावोत्पादकता सत्ता साकेत में कमजोर न हो। संगठन और विचार का महत्व बनाए रखने की जवाबदेही मूल पिंड से उपजे नेताओं की ही होती है। बशर्ते वे खुद सिर्फ सत्ता के लिए सियासी चोला न पहनें हुए हों। बीजेपी के वैचारिक अधिष्ठान में प्रचारक की तरह आचरण अपेक्षित है। जो नेता इस अधिष्ठान को समझते हैं उनका उत्कर्ष यहां बगैर वकालत के निरन्तर होता रहा है। इसलिए सिंधिया हो या पायलट, सामयिक रूप से जो सियासी उत्कर्ष में सहायक हो उन्हें लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। अगर ऐसे नेताओं के अंदर समन्वय और वैचारिक अवलंबन का माद्दा होगा तो वह मूल विचार के लिए उपयोगी ही होंगे। अंततः समाज के बेहतर और प्रभावशाली लोगों को अपने साथ जोड़कर चलना ही तो संघ विचार का मूल उद्देश्य है।

फ़ाहर स्टोरी

खत्म होगा

500 वर्षों का वनवास

नया इतिहास



अनिल कुमार

आखिरकार वह ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई, जिसका एक-दो नहीं, दस-बीस या फिर पचास साल भी नहीं, बल्कि पांच सौ से अधिक वर्षों से राम भक्त इंतजार कर रहे थे। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में प्रभु राम की जन्मभूमि पर जब राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे तो उन असंख्य लोगों की आत्मा को भी शांति मिलेगी, जिन्होंने पिछले पांच सौ सालों में राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे लोगों के लिए राम मंदिर निर्माण होना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने यह हर हिन्दू चाहता था। राम मंदिर निर्माण के समय केन्द्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार का होना भी कम संयोग नहीं है। अगर केन्द्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होती तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभी यह विवाद और लम्बा खिंचता। पिछले पांच सौ वर्षों से राम मंदिर निर्माण में कई तरह की अड़चनें खड़ी की जा रही थीं।

राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी पर पांच सौ वर्ष पुराने विवाद के इतिहास को कैसे भुलाया जा सकता है, जब वर्ष 1528 में में श्रीराम जन्म भूमि पर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि हिन्दुओं के पौराणिक ग्रन्थ रामायण और रामचरित मानस के अनुसार यहां भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। बताते चलें कि 1528 में राम मंदिर तोड़ा गया था, इससे दो वर्ष पूर्व 1526 में भारत में मुगलकाल शुरू हुआ था, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। जब तक देश पर मुगलों का राज रहा तब तक राम भक्तों की आवाज को किसी न किसी तरह से दबा दिया जाता था। इस दौरान काशी से लेकर मथुरा तक तमाम मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई थीं।

मुगल काल के कमजोर पड़ने के बाद 1853 में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ, जो धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। इसी बीच देश पर हुकूमत कर रहे अंग्रेजों ने अपनी 'फूट डालो और राज करो' की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1859 में नमाज के लिए मुसलमानों को अन्दर का हिस्सा और पूजा के लिए हिन्दुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग करने का दे दिया। 1947 में देश आजाद होने के बाद वर्ष 1949 में कथित तौर पर मंदिर के अन्दर के हिस्से में भगवान श्रीराम की मूर्ति 'प्रकट' हो गई। इस पर मुस्लिम पक्ष उग्र हो गया। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। सन् 1986 में फैजाबाद की एक जिला अदालत ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दे दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की।

इसी के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण का मसला आमजन से निकल के सियासतदारों के हाथ में चला गया। 1989 में विश्व हिन्दू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू कर की। 1990 में विश्व हिन्दू परिषद ने अयोध्या में राम जन्म भूमि निर्माण की घोषणा कर दी। कारसेवा की तारीख 30 अक्टूबर 1990 तय हुई। राम भक्तों को कारसेवा के लिए आमंत्रित किया गया। इस समय तक भारतीय जनता पार्टी भी विश्व हिन्दू परिषद के साथ राम मंदिर निर्माण की मुहिम में जुड़ चुकी थी। उस समय केन्द्र में कांग्रेस और प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने घोषणा कर रखी थी कि 30 अक्टूबर को वह कारसेवा नहीं होने देंगे, अयोध्या में 'परिदा' भी पर नहीं मार पाएगा। पूरे प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अयोध्या की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद कर दी गयीं और सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी गयीं।

पांच अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे, इसके साथ ही विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का 'राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे नारा भी चरितार्थ हो जाएगा, जिसको लेकर कई बार बीजेपी को उलहाने भी मिलते रहे थे।

दावा करने वालों के होश उड़ गये।

श्री रामजन्मभूमि को पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने घेर लिया और अयोध्या को छावनी में बदल दिया गया था। इतनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बाद दुनिया भर से आये पत्रकारों को भी यह विश्वास हो गया था कि कारसेवा असंभव है। 29 अक्टूबर को अज्ञात स्थान से जब श्री अशोक सिंहल का बयान जारी हुआ कि पूर्व घोषणा के अनुसार 30 अक्टूबर को ठीक 12.30 बजे कारसेवा होगी, तो सहसा कोई भी इस पर विश्वास न कर सका। 30 अक्टूबर को प्रातः नौ बजे अचानक मणिरामदास छावनी के द्वार खुले और पूज्य वामदेव जी और महंत नृत्यगोपाल दास जी बाहर निकले। ठीक इसी समय वाल्मीकि मंदिर का कपाट खोल कर विहिप के महामंत्री अशोक सिंहल प्रकट हुए। उनके साथ थे उ.प्र. पुलिस के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित। उन्हें देख कर सभी चौंक गये। एक सप्ताह से आन्दोलन के इन नेताओं की तलाश में पुलिस ने अयोध्या का चप्पा-चप्पा छान मारा था लेकिन उनकी हवा भी नहीं पा सकी थी। इन नेताओं ने जयश्री राम का उद्घोष कर जैसे ही हनुमान गढ़ी की ओर कदम बढ़ाये, घरों के दरवाजे खुलने लगे और हर घर से कारसेवक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की टोलियां निकलने लगीं। देखते ही देखते भगवा पटके सर से बांधे हजारों लोगों का काफिला बढ़ चला। सबसे आगे संत, फिर महिलायें और बच्चे, सबसे अंत में पुरुष। निहत्थे, निर्भीक कारसेवक रामनाम का संकीर्तन करते श्री राम जन्मस्थान की ओर आगे बढ़ रहे थे। प्रशासन हतप्रभ था। परिदा भी पर न मार सके, ऐसी सुरक्षा का

हनुमान गढ़ी के पास पहुंचते ही बौखलाये प्रशासन ने निहत्थे कारसेवकों पर लाठी बरसाना प्रारंभ कर दिया। अशोक सिंहल के सिर पर लाठी का प्रहार हुआ, रक्त की धार बह चली। उनके मुख से निकले जय श्री राम के घोष ने कारसेवकों के पौरुष को जगा दिया। 64 वर्षीय श्रीश चन्द्र दीक्षित ढांचे के बाहर बनी आठ फीट ऊंची दीवार और उस पर लगी कंटीले तारों की बाड़ पार कर कब और कैसे रामलला के सामने जा पहुंचे, वे भी नहीं समझ सके। उनके साथ ही सैकड़ों कारसेवक भी प्रांगण के अंदर थे। कोलकाता के रामकुमार और शरद कोठारी ने बीच में स्थित मुख्य गुम्बद पर हिन्दू राष्ट्र का प्रतीक भगवा ध्वज फहरा दिया। फैजाबाद के एक नौजवान और एक साधु महाराज ने शेष दोनों गुम्बदों पर भी ध्वज लगा दिया। यह दोनों लोग ही गुम्बद से फिसल कर नीचे गिरे और रामकाज में बलिदान हो गये। उस रात अयोध्या सहित साकेत में अभूतपूर्व दीवाली मनायी गयी।

यह समाचार सुनते ही कि विवादित ढांचे पर कारसेवकों का कब्जा हो गया है, सुरक्षा के अहंकारपूर्ण दावे करने वाले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह स्तब्ध रह गये। दूसरी ओर बलिदानी कारसेवकों के शोक तथा उनके शवों के अंतिम संस्कार के लिये 31 अक्टूबर और 01 नवम्बर को कारसेवा बन्द रही। 02 नवम्बर को रामदर्शन कर कारसेवकों के वापस जाने की घोषणा की गयी। कारसेवक रामलला

के दर्शन कर अपने-अपने घरों को लौटने के लिये तैयार थे। प्रातः 11 बजे दिगम्बरी अखाड़े से परमहंस रामचन्द्र दास, मणिराम छावनी से महंत नृत्यगोपाल दास और सरयू के तट से बजरंग दल के संयोजक विनय कटियार तथा श्रंगारहाट से सुश्री उमा भारती के नेतृत्व में कारसेवकों के जत्थे राम जन्म भूमि की ओर बढ़े तो अपमान की आग में जल रहे मुख्यमंत्री मुलायम ने प्रतिशोध लेने की ठान ली थी। विनय कटियार और उमा भारती के नेतृत्व में चल रहे निहत्थे कारसेवकों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। दिगम्बरी अखाड़े की ओर से परमहंस रामचन्द्र दास के नेतृत्व में आ रहे काफिले पर पीछे से अश्रुगैस के गोले फेंके गये और कारसेवक कुछ समझ पाते इससे पहले ही बिना किसी चेतावनी के गोलियों की वर्षा होने लगी। कारसेवकों के शरीर जय श्रीराम के उच्चारण के साथ कुछ क्षण तड़पते और फिर शांत हो जाते। दर्जनों कार सेवक मौत के मुंह में चले गए।

करीब दो वर्षों के बाद एक बार फिर 6 दिसम्बर 1992 को विश्व हिन्दू परिषद ने अयोध्या में कारसेवा की घोषणा की। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। कल्याण सिंह ने अदालत में लिखित दिया था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कारसेवकों ने विवादित ढांचे को पूरी तह से धाराशायी कर

किसी तरह से विवाद सुलझे नहीं। इंतजार इस बात का हो रहा था कि 2019 का लोकसभा चुनाव हार कर केन्द्र से मोदी सरकार बाहर हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों के अरमानों पर तब पानी फिर गया, जब 2019 में भी मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिल गया। इसी के बाद मंदिर निर्माण की राह आसान होती गई और दोबारा मोदी सरकार के गठन के लगभग पांच महीने बाद ही 09 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया।

पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद बनाने के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन देने के भी निर्देश दिये। इसके अलावा कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। हालांकि निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह देने की अनुमति को स्वीकार कर लिया गया है।

बहरहाल, अयोध्या में पाँच सौ वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण की कवायद का तेज होना न केवल स्वाभाविक, बल्कि स्वागत-योग्य है। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री



दिया। परिणामस्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब दो हजार लोगों की जानें गईं। इसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।

अयोध्या विवाद में नया मोड़ तब आया जब 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया जिसमें विवादित भूमि को रामजन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे रामजन्मभूमि माना जाता रहा है, उसे हिंदू पक्ष को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहाँ से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूँकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है इसलिए यह हिस्सा निर्माही अखाड़े के पास ही रहेगा। दो न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा मुसलमान पक्ष को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से इंकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सात साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। उच्चतम न्यायालय ने सात वर्ष बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से तीन न्यायधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी, लेकिन एक पक्ष लगातार इस बात की कोशिश करता रहा कि

के भूमि पूजन के साथ ही सब कुछ ठीक रहा, तो प्रभु श्रीराम का तीन मंजिला मंदिर साढ़े तीन साल में बनकर तैयार भी हो जाएगा। भूमि की उपलब्धता को देखते हुए मंदिर परिसर का आकार-विस्तार बढ़ाने का फैसला भी ठीक ही है। मंदिर के लिए 120 एकड़ तक जमीन उपलब्ध हो सकती है। पहले यह दायरा 67 एकड़ तक सीमित था। मंदिर की ऊँचाई 161 फुट होगी। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे, इसके साथ ही विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का 'राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे नारा भी चरितार्थ हो जाएगा, जिसको लेकर कई बार बीजेपी को उलहाने भी मिलते रहे थे। खैर, प्रभु श्रीराम के मंदिर का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसको लेकर थोड़ी-बहुत चर्चा और विवाद की भी शुरुआत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, इसलिए प्रधानमंत्री को इस तरह के कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ लोगों में अनायास भय व्याप्त होता है, लेकिन ऐसा कहने वालों को नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान की किसी सरकार की धर्मस्थल के मामलों में लिप्तता कतई नई नहीं है। ऐसा देश में पहले भी होता रहा है। कुल मिलाकर भगवान श्रीराम ने भले ही 14 वर्षों का वनवास भोगा था, लेकिन उनके भक्तों को अपने अराध्य प्रभु राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए पांच सौ वर्ष का लम्बा 'वनवास' भोगना पड़ा।

राम मंदिर निर्माण के साथ ही हाशिये पर चली जायेगी 'कमंडल' की राजनीति

—अनम सुभा

ऐसा लगता है कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ ही देश में सांप्रदायिक समरसता का भी नया युग प्रारम्भ हो जाएगा। तीन दशकों से जन्मभूमि विवाद के कारण देश के सांप्रदायिक सद्भाव को गहरी चोट पहुंच रही थी।



पांच अगस्त को अयोध्या में प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ ही हिन्दुस्तान की सियासत का एक महत्वपूर्ण 'पन्ना' बंद हो जाएगा। तीन दशकों से भी अधिक से समय से देश की सियासत जिस 'मंडल-कमंडल' के इर्दगिर्द घूम रही थी, वह अब इतिहास के पन्नों में सिमट गई है। मंडल यानी पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 52 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए बना आयोग और कमंडल मतलब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया अभियान। मंडल-कमंडल की सियासत ने अगड़े-पिछड़े के नाम पर हिन्दुओं में बड़ी फूट डाली थी और इसके लिए संविधान को मोहरा बनाया गया था।

दरअसल, 1931 की जनगणना के हिसाब से देश में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनसंख्या 52 फीसदी और अनुसूचित जाति (एससी) की 16 एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) की 7.5 प्रतिशत थी। एससी और एसटी वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता था, जबकि पिछड़ा समाज के लिए अपने लिए भी आरक्षण चाहते थे। इसकी वजह थी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 (4), जो कहता है कि सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। बहरहाल, जब तत्कालीन केन्द्र सरकार पर पिछड़ों को आरक्षण के लिए काफी दबाव पड़ने लगा तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया। 1978 में बने बीपी मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट मोरारजी सरकार को सौंपते हुए जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी को 52 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन इन सिफारिशों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। जब मंडल आयोग ने सिफारिश की थी तब मोरारजी देसाई की ही सरकार थी, जो आपसी खींचतान के चलते अपना कार्यकाल पूरा किए बिना गिर गई थी। मोरारजी की सरकार गिरने के बाद हुए लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने लेकिन बोफोर्स

घोटाले के कारण जनता में भरोसा खो दिया और एकजुट विपक्ष ने उन्हें चुनाव में पटखनी दे दी। तत्पश्चात वीपी सिंह संयुक्त मोर्चे के प्रधानमंत्री बने। मोर्चे में देवी लाल, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे जो अपने आप को पिछड़ों का नेता कहते थे और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होते हुए देखना चाहते थे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सामने हालात यह बन गए कि वीपी को यहां तक लगने लगा कि अगर मंडल कमीशन लागू नहीं किया तो उक्त नेता उनकी सरकार गिरा देंगे। इसी दबाव के बीच वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट की धूल झाड़ी और 13 अगस्त 1990 को इसे लागू कर दिया, लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद इन नेताओं ने वीपी की सरकार गिरा कर ही चैन लिया। उधर, मंडल कमीशन लागू होते ही 12 सितंबर 1990 को दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग बुला ली गई। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के तुरंत बाद ही भाजपा ने कमंडल अर्थात् अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर बनवाने की लड़ाई अपने हाथों में ले ली। भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथयात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया। आडवाणी की इस यात्रा को मंडल की काट के रूप में देखा गया।

मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 52 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से देशभर में सवर्णों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह ऐसा दौर था जब उत्तर भारत की जाट, पटेल, मराठा जैसी बड़ी किसान जातियां सवर्णों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही थीं तो दूसरी तरफ आओ अयोध्या चलें वाले कमंडल के नारों के साथ जयकारे लगा रही थी। इसी बीच मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को अपने फैसले में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण न करने की बात कहकर 52 फीसदी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण तक सीमित कर दिया व एक लाख रुपये से ज्यादा आय वालों

को क्रीमीलेयर की श्रेणी में डाल दिया, जो आज तक बदस्तूर जारी है।

उधर, अन्य सियासी घटनाक्रम में एक तरफ लालू यादव व मुलायम सिंह यादव कमंडल का विरोध करते हुए मुसलमानों के नेता बन गए थे तो दूसरी तरफ इन नेताओं ने यादवों को आरक्षण दिलवा कर उनका भी विश्वास जीत लिया, लेकिन समय के साथ मंडल की आग धीमी पड़ती गई और बीजेपी अयोध्या मुद्दे को गरमाती रही। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद हिन्दुओं में जो खाई पैदा हो गई थी, उसे कमंडल की राजनीति ने पूरी तरह से पाट दिया और पूरा हिन्दू समाज एकजुट होकर मंदिर निर्माण के पक्ष में खड़ा हो गया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहरहाल, पांच अगस्त को भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के लिए भूमि-पूजन के साथ बीजेपी की कमंडल की सियासत भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद यह भी की जानी चाहिए कि मंदिर निर्माण के साथ ही हिन्दू-मुसलमानों के बीच की खाई भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मंदिर के साथ मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। यह काफी सौहार्दपूर्ण स्थिति है।

ऐसा लगता है कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ ही देश में सांप्रदायिक समरसता का भी नया युग प्रारम्भ हो जाएगा। तीन दशकों से जन्मभूमि विवाद के कारण देश के सांप्रदायिक सद्भाव को गहरी चोट पहुंच रही थी। गत वर्ष नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों पक्षों ने जिस सहिष्णु मानसिकता के साथ सारे पूर्वाग्रह त्याग कर इसे स्वीकार किया, उसने पूरी दुनिया को चौंकाया जबकि दशकों से इसे मुद्दा बना कर वोटबैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को निराश किया। इससे यह धारणा भी पुष्ट हो गयी कि मंदिर-मजिस्द के नाम पर राजनीतिक दल और कारोबारी मानसिकता के संगठन स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, दोनों पक्षों के आम लोगों की विवाद बढ़ाने में कोई रूचि नहीं थी।

कई जंगों में खुद को विश्व का बेहतरीन लड़ाकू विमान साबित कर चुका है राफेल

—योगेश कुमार शर्मा

अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, माली तथा इराक में हुई जंग में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके राफेल की टैक्नोलॉजी बेहतरीन है और इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं, जो इसे विश्व का बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाने के लिए पर्याप्त हैं।



फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल-ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को जबकि राफेल-सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को पहली उड़ान भरी थी। 'दसॉल्ट एविएशन' 1986 से लेकर 2018 के बीच कुल 165 राफेल विमान तैयार कर चुकी है। ये विमान ए, बी, सी तथा एम श्रेणियों में एक सीट, डबल सीट तथा डबल इंजन में उपलब्ध हैं। राफेल की लम्बाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है जबकि इसके विंग्स की लम्बाई 10.90 मीटर है।

अमेरिका के लड़ाकू विमान एफ-16 की तुलना में यह मात्र 0.79 फुट ज्यादा लंबा और 0.82 फुट ऊंचा है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ ही

यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अत्यंत घातक हथियारों से लैस ये विमान यूरोपीय मिसाइल निर्माता 'एमबीडीए' द्वारा निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मीटिअर मिसाइल के अलावा स्कैल्प ज़रूज मिसाइल से भी लैस है। मीटिअर मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली अगली पीढ़ी की ऐसी मिसाइल है, जिसे हवाई लड़ाईयों में अत्यधिक कारगर माना जाता है।

फ्रांस से करीब सात हजार किलोमीटर लंबा सफर तय कर अंततः लंबे इंतजार के बाद पांच राफेल लड़ाकू जेट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। कुछ दिनों पहले तक चार राफेल भारत को मिलने की संभावना थी किन्तु चार के बजाय बहुप्रतीक्षित पांच राफेल भारत पहुंच चुके हैं। इनमें दो राफेल दो सीट वाले हैं, जो ट्रेनर विमान हैं जबकि तीन सिंगल सीटर हैं। हालांकि फ्रांसीसी कंपनी ने 8 अक्टूबर 2019 को ही औपचारिक रूप से भारत को चार राफेल सौंप दिए थे और तभी से वहीं पर भारतीय पायलटों को राफेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

पौने तीन माह पहले ये विमान भारत पहुंचने थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण इनके भारत आने में विलम्ब हुआ है। इनके अलावा पांच और राफेल भी भारत को सौंपे जा चुके हैं, जो अभी फ्रांस में ही हैं और वहीं भारतीय वायुसेना के पायलट इनका प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन दस राफेल के अलावा बाकी 26 राफेल विमान भी आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से भारत को मिलते रहेंगे। दो सीटों वाले प्रशिक्षण विमानों सहित आरबी सीरीज के कुल 36 राफेल विमानों की दो स्क्राइनों में से पहली '17 गोल्डन एरोज' भारत-पाक सीमा से करीब 220 किलोमीटर दूर अम्बाला में तथा दूसरी पश्चिम बंगाल के हासीमारा केन्द्र में तैनात होगी।

राफेल की विशेषताओं की बात करें तो इसे हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मिसाइल हमलों के लिए बहुआयामी भूमिकाएं निभाने

के लिए भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से परिष्कृत किया गया है। राफेल फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी 'दसॉल्ट एविएशन' द्वारा निर्मित दो इंजन वाला अत्याधुनिक मध्यम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) है, जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद माना जाता है। अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, माली तथा इराक में हुई जंग में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके राफेल की टैक्नोलॉजी बेहतरीन है और इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं, जो इसे विश्व का बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

यह हवाई हमला, वायु वर्चस्व, जमीनी समर्थन, भारी हमला, परमाणु प्रतिरोध इत्यादि कई प्रकार के कार्य बखूबी करने में सक्षम है। परमाणु बम गिराने की ताकत से लैस राफेल में इजरायल हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले, रडार चेतावनी रिसीवर, लो बैंड जैमर, दस घंटे की उड़ान डाटा रिकॉर्डिंग, इन्फ्रारेड खोज और ट्रैकिंग प्रणाली शामिल हैं। कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम राफेल विमान उल्का बीबीआर एयर-टू-एयर मिसाइल (बीबीआरएएएम) की अगली पीढ़ी है, जिसे एयर-टू-एयर कॉम्बैट में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा होने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती।

फ्रांस में वर्ष 1970 में वहां की सेना द्वारा अपने पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमानों को बदलने की मांग सरकार से की गई थी, जिसके

बाद फ्रांस ने चार यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान परियोजना पर काम शुरू किया। कुछ वर्षों बाद फ्रांस के साथ उन देशों के मतभेद हो गए और फ्रांस ने अपने ही बूते पर इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया। फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल-ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को जबकि राफेल-सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को पहली उड़ान भरी थी। 'दसॉल्ट एविएशन' 1986 से लेकर 2018 के बीच कुल 165 राफेल विमान तैयार कर चुकी है। ये विमान ए, बी, सी तथा एम श्रेणियों में एक सीट, डबल सीट तथा डबल इंजन में उपलब्ध हैं।

राफेल की लम्बाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है जबकि इसके विंग्स की लम्बाई 10.90 मीटर है। अमेरिका के लड़ाकू विमान एफ-16 की तुलना में यह मात्र 0.79 फुट ज्यादा लंबा और 0.82 फुट ऊंचा है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ ही यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अत्यंत घातक हथियारों से लैस ये विमान यूरोपीय मिसाइल निर्माता 'एमबीडीए' द्वारा निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मीटिअर मिसाइल के अलावा स्कैल्प वरूज मिसाइल से भी लैस है। मीटिअर मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली अगली पीढ़ी की ऐसी मिसाइल है, जिसे हवाई लड़ाईयों में अत्यधिक कारगर माना जाता है।

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कोई लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, यह उसकी सेंसर क्षमता

और हथियारों पर निर्भर करता है अर्थात् कोई लड़ाकू विमान कितनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है और कितनी दूरी तक मार कर सकता है और राफेल इस मामले में बिल्कुल अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री है, जिसके चलते यह ऊपर-नीचे, अगल-बगल अर्थात् हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। उन्नत तकनीक और परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल का हर तरह के मिशन में उपयोग किया जा सकता है। यह हर तरह के मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी तुरंत भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है।

यह जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमानवाहक पोत से उड़ान भरने में भी सक्षम है और इसकी बड़ी खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से थोड़ी मैपिंग कर यह रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल में बैठे पायलट द्वारा दुश्मन की लोकेशन को देखकर बटन दबा देने के बाद बाकी काम इसमें लगे कम्प्यूटर करते हैं। कोई लड़ाकू विमान कितनी ऊंचाई तक जाता है, यह उसके इंजन की ताकत पर निर्भर करता है और केवल 1312 फुट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम राफेल 36 हजार फुट से लेकर 60 हजार फुट तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो महज एक मिनट में ही 60 हजार फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम राफेल 24500 किलोग्राम तक भार लेकर उड़ सकता है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है।

मल्टीमोड रडार से लैस राफेल जेट विमान हवाई टोही, ग्राउंड सपोर्ट, इन-डेथ स्ट्राइक, एंटी-शार्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में निपुण है। ऑप्टिकल सिक्वोर फ्रंटल इन्फ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस राफेल में एमबीडीए एमआइसीए, एमबीडीए मीटिअर, एमबीडीए अपाचे जैसी कई तरह की खतरनाक मिसाइलें और गन लगी हैं, जो पल भर में ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती हैं।

इसमें लगी मीटिअर मिसाइल सौ किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान को भी पलभर में मार गिराने में सक्षम हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी मिसाइल चीन-पाकिस्तान सहित समस्त एशिया में किसी भी देश के पास नहीं हैं। 150 किमी की बियॉंड विजुअल रेंज मिसाइल, 300 किलोमीटर रेंज वाली हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस यह लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन के डबल इंजन से लैस है, जिसमें ईंधन क्षमता 17 हजार किलोग्राम है। इसमें लगी 1.30 एमएम की एक गन एक बार में 125 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। केवल एक मिनट में ही विमान के दोनों तरफ से 30 एमएम की तोप से भी 2500 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। यह ऊंचे इलाकों में लड़ने में भी माहिर है और इसमें एक या दो पायलट ही बैठ सकते हैं। एक बार में यह दो हजार समुद्री मील तक उड़ सकता है।

परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसकी क्षमता पाकिस्तान के एफ-16 से ज्यादा है। पाकिस्तान और चीन की ओर से देश की सीमाओं की सुरक्षा को लगातार मिलती चुनौती के मद्देनजर राफेल विमान भारतीय वायुसेना को अभेद्य ताकत प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय जे-17, एफ-16 और मिराज जैसे जो उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमान हैं, वे तकनीक के मामले में राफेल से काफी पीछे हैं।

उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन ‘ अंदर’ हों या ‘बाहर’,सबका धंधा फलफूल रहा है

कुछ माफिया ऐसे भी हैं जिनकी मौत के मुंह में जाने के बाद भी ‘दहशत’ बरकरार है। मृतक माफिया भी उनके गुर्गों के लिए कमाई का जरिया बने हुए हैं। इन मृतक माफियाओं के नाम पर आज भी उनके गैंग ठीक वैसे ही संचालित हो रहे हैं, जैसे उनके जिंदा रहते हुआ करते थे।

कानपुर में दबिश के दौरान आठ पुलिस वालों की नृशंस हत्या के बाद माफियाओं, गुंडे-बदमाशों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए हैं। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश में फिर से आपरेशन ‘ऑल क्लीन’ शुरू हो गया है। कई माफियाओं का अवैध साम्राज्य ढहा दिया गया है तो कई को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस की ऐसे माफियाओं के ऊपर भी नजर है जो जेल की सलाखों के पीछे भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश की जेलों में कई नामी माफिया डॉन बंद हैं। इसमें से समय के साथ कुछ माफियाओं के तेवर ढीले पड़ गए हैं तो माफिया डॉन अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बबलू श्रीवास्तव, बृजेश सिंह, सुनील राठी, खान मुबारक, सुंदर भाटी, त्रिभुवन सिंह, धनंजय सिंह आदि आज भी अपने गुर्गों के माध्यम से रंगदारी, फिरौती, जमीन कब्जाने, खनन और सरकारी ठेके हथियाने आदि के धंधे में लगे हुए हैं। माफिया मोबाइल और सोशल नेटवर्क साइट से अपनी दहशत का साम्राज्य स्थापित रखते हैं। इतना ही नहीं बाहुबली से नेता बन चुके कुछ माफिया डॉन सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता और समर्थकों से न केवल जुड़े रहते हैं बल्कि पंचायत तक लगाते हैं।

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हो या उसका विरोधी बृजेश सिंह या सुभाष ठाकुर आदि तमाम अपराधी, सबकी सलाखों के पीछे से ‘हुकूमत’ चलती है। जेलों में इनके लिए मोबाइल की व्यवस्था करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनके द्वारा सियासत के गठजोड़ से लेकर सरकारी ठेकों में दखल और दुश्मनों से निपटने के सारे प्लान जेल के अंदर तैयार होते हैं और बाहर उन पर अमल होता है। बड़े माफिया जेल के अंदर से फोन और सोशल साइट्स का सबसे अधिक इस्तेमाल रेलवे, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी में ठेकों के लिए करते हैं। साथ ही रंगदारी न देने वाले व्यवसायियों को सबक सिखाने के लिए जेल से ही अपने शूटरों को निर्देश देते हैं।

बात यहीं तक सीमित नहीं है। इससे इतर कुछ माफिया ऐसे भी हैं जिनकी मौत के मुंह में जाने के बाद भी ‘दहशत’ बरकरार है। मृतक माफिया भी उनके गुर्गों के लिए कमाई का जरिया बने हुए हैं। इन मृतक माफियाओं के नाम पर आज भी उनके गैंग ठीक वैसे ही संचालित हो रहे हैं, जैसे उनके जिंदा रहते हुआ करते थे। बस फर्क इतना है कि जिंदा रहते जो माफिया डॉन स्वयं आगे आकर फिरौती आदि मांगा करते थे, अब सोशल मीडिया पर इनकी फोटो लगाकर उसके गुर्ग काम चलाते हैं। करीब दर्जन भर ऐसे मृत माफिया हैं जिनके नाम पर सोशल नेटवर्क पर एकाउंट बने हुए हैं। वह भी एक नहीं कई-कई। कई मारे जा चुके माफियाओं को सोशल नेटवर्किंग साइट्स खासकर फेसबुक और वाट्स ऐप पर ‘सक्रिय’ पाया गया है। मारे जा चुके डॉन को उनके दोस्तों और

समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल ‘जिंदा’ रखा जा रहा है, बल्कि मृत माफियाओं के नाम से समय-समय पर पोस्ट भी साझा की जाती हैं।

दरअसल, मृत माफिया के सोशल साइट्स पर जिंदा रहने की दो वजह हैं एक तो कमाई और दूसरा उनके गुर्गों का मृत माफियाओं से भावनात्मक लगाव। ताकि इनकी यादों को ताजा रखा जा सके और लोगों से भी उनका जुड़ाव बना रहे। इसी तरह से तमाम जेलों में बंद डॉन भी जेल कर्मियों की मिलीभगत से सोशल साइट्स पर सक्रिय रहते हैं। बचाव में यह माफिया यही कहते हैं कि जेल में रहकर ऐसा कैसे हो सकता है। माफिया सफाई देते हुए कहते हैं उनके बेटे-भतीजे उनके नाम से बनाए गए फेसबुक पेज चलाते हैं, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे जुड़े रहना चाहते हैं।

बात मृत माफियाओं की कि जाए तो 70-80 के दशक के माफिया डॉन वीरेंद्र प्रताप शाही की 1997 में लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज भी शाही की फेसबुक डिस्प्ले तस्वीर में उनका बखान ‘शेर-ए-पूर्वांचल’ के तौर पर किया गया है और इसमें दहाड़ते हुए शेर की तस्वीर भी है। फेसबुक पर मृत शाही की तरफ से उनके समर्थकों को विभिन्न त्योहारों पर बाकायदा ‘बधाई’ दी जाती है। इसके अलावा उनके समर्थक उनकी बरसी पर डॉन को श्रद्धांजलि भी देते हैं। उसके समर्थक समय-समय पर लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि वही असली ‘शेर-ए-पूर्वांचल’ थे। हाल ही में शाही की मृत्यु के 22 साल बाद उनके पेज को 1,767 लाइक्स मिले थे। शाही के करीब पौने दो हजार फॉलोअर भी हैं। उनके समर्थक उनकी तस्वीरों को पोस्ट करते हैं और उनके अच्छे कामों का भी बखान करते रहते हैं, जिसकी बदौलत उनके समर्थकों ने उन्हें ‘रॉबिनहुड ऑफ द ईस्ट’ का खिताब दे रखा है।

एक मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी लेने के बाद चर्चा में आए और उसके बाद मुठभेड़ में मारे जा चुके दंबंग श्रीप्रकाश शुक्ला को भी उसके समर्थक आज तक ‘जिंदा’ रखे हुए हैं। मृत डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला फेसबुक पर काफी ‘सक्रिय’ रहता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे खूंखार बदमाशों में से एक श्रीप्रकाश शुक्ला की दहशत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके ‘कारनामों’ के चलते ही 1998 में उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया था। शुक्ला उत्तर प्रदेश का पहला अपराधी था, जो वारदात को अंजाम देने के लिए एके-47 का इस्तेमाल करता था। 1998 में ही लखनऊ में एसटीएफ ने इस गैंगस्टर को गोली मारकर मौत की नौद सुला दिया था। आज भी श्रीप्रकाश के समर्थकों द्वारा चलाया जा रहा उसका फेसबुक पेज उसे ‘डॉन’ ‘गैंगस्टर ग्रुप-जी 2’ का नेता बताता है। फेसबुक पर शुक्ला की ओर से कथित तौर पर एक पोस्ट भी साझा की गई है, जिसमें लिखा है, ‘मैं एक गैंगस्टर हूं और गैंगस्टर सवाल नहीं पूछते।’ फेसबुक पर मारे गए डॉन की कवर फोटो है, जो पुलिस रिकॉर्ड में

उपलब्ध है। इसी प्रकार पूर्वांचल के बाहुबली मुन्ना बजरंगी जिसकी बीते वर्ष पश्चिमी यूपी के बागपत जेल में खूंखार माफिया सुनील राठी के गुर्गों द्वारा हत्या कर दी गई थी, का भी एक फेसबुक एकाउंट है। हालांकि उसके पेज पर कोई पोस्ट नहीं है। मुन्ना बजरंगी फोन पर पंचायत करके अपने क्षेत्र के लोगों के बीच का विवाद सुलझाया करता था। मुन्ना बजरंगी को मारने के बाद राठी के गुर्गों ने घटना का वीडियो तक जेल में बनाया था।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और अन्य मामलों में बीते 15 सालों से जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय है, लेकिन कहा यही जाता है कि उसका फेसबुक पेज उसके घरवाले संभालते हैं। वाराणसी जेल में बंद माफिया डॉन व एलएलसी बृजेश सिंह भी फेसबुक पर दिखता रहता है।

सबसे दिलचस्प फेसबुक पेज पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी का है, अमनमणि निर्दलीय विधायक भी है और अपहरण एवं अपनी पत्नी सारा की आकस्मिक मौत के लिए सीबीआई जांच का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया पर वह कवर फोटो में अपने समर्थकों के साथ दिखता है। जब वह 2016 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में था, तब वह नियमित रूप से अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर रहा था, लेकिन मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद इस तरह की गतिविधि बंद हो गई। दिलचस्प यह था कि फेसबुक पर अमनमणि की दोस्तों की सूची में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आईपीएस अधिकारी अतुल शर्मा और आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद शामिल तक शामिल थे।

सोशल नेटवर्क की तरह मोबाइल से दहशत वाले वालों माफियाओं के भी कृत्य अक्सर सामने आते रहते हैं। दो मई 2017 को मिर्जापुर जिला जेल में बंद शातिर अपराधी मुन्ना बजरंगी गैंग का रिकू सिंह शूटर अमन सिंह को फोन पर इलाहाबाद और सिंघरौली में दो लोगों की हत्या करने का हुक्म देता है। एसटीएफ को भनक लगती है और चार दिन की मशक़त के बाद अमन सिंह गिरफ्तार हो जाता है, जो धनबाद के चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में शामिल था। 15 जनवरी 2017 को इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद अपराधी उधम सिंह करनावल-मेरठ में मार्बल व्यवसायी व प्रॉपर्टी डीलर को फोन कर दस-दस लाख की फिरौती मांगता है। फिरौती न देने पर फोन करके दोनों को ठिकाने लगाने के लिए शूटर प्रवीण कुमार पाल को बुलाता है। प्रवीण मेरठ से इलाहाबाद पहुंच जाता है, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले एसटीएफ उसे दबोच लेती है।

2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान माफिया बृजेश सिंह चंदौली की सैयदराजा सीट से अपने भतीजे सुशील सिंह को जिताने के लिए कई ग्राम प्रधानों और बीडीसी को फोन करता है। भतीजे के नहीं जीतने पर अंजाम बुरा होने की धमकी देता है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है।

अवमानना की शुरुआत आलोचना का दम घोटने का प्रयास

अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के मामले में पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजदूतों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने उनके पक्ष में एकजुटता दिखाते हुए एक बयान जारी किया है।

बयान में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज को लेकर कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले श्री भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करना “आलोचना का दम घोटने” का एक प्रयास है।

उन्होंने कहा कि,“ प्रतिशोध या आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के डर के बिना एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में देश के सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक चर्चा के लिए ओपन होना चाहिए।”

पिछले हफ्ते, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया था। जिसमें उनसे पूछा गया था कि न्यायपालिका पर किए गए उनके ट्वीट के मामले में क्यों न उनके खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए? इस वक्तव्य के 131 हस्ताक्षरकर्ताओं ने अवमानना की कार्यवाही पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि-

‘पिछले कुछ वर्षों में, राज्य द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने और सरकारी ज्यादातियों की जाँच करने के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी संवैधानिक रूप से अनिवार्य भूमिका को निभाने में दिखाई गई अनिच्छा पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ये सवाल समाज के सभी वर्गों- मीडिया, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों, कानूनी बिरादरी के सदस्यों और यहां तक कि खुद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा उठाए गए हैं। हाल ही में, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी संकट को रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उचित समय पर हस्तक्षेप न करना या ऐसा करने की इच्छा न दिखाना भी सवालों के घेरे में आई है या इस पर सवाल उठाए गए हैं।’

वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत हुए पांच महीने बीत चुके हैं,उसके बावजूद भी सीमित तरीके से ,फिजिकल हियरिंग या सुनवाई फिर से शुरू न करने के मामले में भी अदालत के फैसले को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।

हम सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से इन चिंताओं पर ध्यान देने और जनता के साथ खुले और पारदर्शी तरीके से जुड़ने का आग्रह करते हैं। श्री भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत करना (जिन्होंने अपने ट्वीट में इन चिंताओं में से कुछ को स्पष्ट किया था), इस तरह की आलोचना को दबाने का एक प्रयास है। जबकि इस तरह की आलोचना सिर्फ प्रशांत भूषण द्वारा ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक और संवैधानिक सेटअप के सभी हितधारकों द्वारा की जा रही है। हमारा मानना ​​है कि संस्था को इन वास्तविक चिंताओं को दूर करना चाहिए या इन पर विचार करना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि ज्यादातर कार्यशील लोकतंत्र जैसे कि यूएसए और यूके ने आपराधिक अवमाननाकी अवधारणा को परिगत किया है। उन्होंने कहा कि भारत में भी यह सिद्धांत है कि न्यायपालिका की आलोचना को “अवमानना की शक्ति का अंधाधुंध उपयोग करके” रोकना नहीं चाहिए। वहीं इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया है कि न्याय और निष्पक्षता के हित में और सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए श्री भूषण के खिलाफ सू-मोटो अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के निर्णय पर फिर से विचार करें और जल्द से जल्द इसे वापस लिया जाए।

यह आपराधिक अवमानना की कार्यवाही श्री भूषण के 27 जून के ट्वीट को लेकर शुरू की गई है। जिसमें कहा गया था कि-

“जब भविष्य में इतिहासकार पिछले 6 वर्षों में वापस मुड़ कर देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र नष्ट हो गया है। उस समय वे विशेष रूप से इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिह्नित करेंगे और विशेष रूप से अंतिम 4 सीजेआई की भूमिका को।”

शीर्ष अदालत का कहना है कि उनको एक वकील से शिकायत मिली है,जो भूषण द्वारा 29 जून को किए गए ट्वीट के संबंध में है। इस ट्वीट में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे द्वारा हालें डेविडसन मोटर बाइक की सवारी करने टिप्पणी की गई थी।

हाल ही में, ट्विटर ने दोनों ट्वीट्स पर रोक लगा दी है और उन्हें एक संदेश के साथ छुपाया गया कि “कानूनी मांग के जवाब में @pbhushanv के इस ट्वीट को भारत में हटा दिया गया है।”

बयान के हस्ताक्षरकर्ताओं में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, सी यू सिंह, संजय हेगड़े, गोपाल शंकरनारायणन, आनंद ग्रोवर, अमीर सिंह चड्ढा, मिहिर देसाई, अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर, पूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल रामदास, सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, जेएनयू के प्रोफेसर दीपक नैयर, राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, पूर्व राज्यसभा सांसद डी राजा आदि शामिल हैं।

(कहानी)

रहस्य



विमल प्रकाश ने सेवाश्रम के द्वार पर पहुँचकर जेब से रूमाल निकाला और बालों पर पड़ी हुई गर्द साफ की, फिर उसी रूमाल से जूतों की गर्द झाड़ी और अन्दर दाखिल हुआ। सुबह को वह रोज टहलने जाता है और लौटती बार सेवाश्रम की देख-भाल भी कर लेता है। वह इस आश्रम का बानी भी है, और संचालक भी।

सेवाश्रम का काम शुरू हो गया था। अध्यापिकाएँ लड़कियों को पढ़ा रही थीं, माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था और एक दरजे की लड़कियाँ हरी-हरी घास पर दौड़ लगा रही थीं। विमल को लड़कियों की सेहत का बड़ा खयाल है।

विमल एक क्षण वहीं खड़ा प्रसन्न मन से लड़कियों की बाल-क्रीड़ा देखता रहा, फिर आकर दफ्तर में बैठ गया। क्लर्क ने कल की आयी हुई डाक उसके सामने रख दी। विमल ने सारे पत्र एक-एक करके खोले और सरसरी तौर पर पढ़कर रख दिये, उसके मुख पर चिन्ता और निराशा का धूमिल रंग दौड़ गया। उसने धन के लिए समाचार-पत्रों में जो अपील निकाली थी, उसका कोई असर नहीं हुआ? कैसे यह संस्था चलेगी? लोग क्या इतने अनुदार हैं? वह तन-मन से इस काम में लगा हुआ है। उसके पास जो कुछ था वह सब उसने इस आश्रम को भेंट कर दी। अब लोग उससे और क्या चाहते हैं? क्या अब भी वह उनकी दया और विश्वास के योग्य नहीं है?

वह इसी चिन्ता में डूबा हुआ उठा और घर पर आकर सोचने लगा, यह संकट कैसे टाले? अभी साल का आधा भी नहीं गुजरा और आश्रम पर बारह हज़ार का कर्ज हो गया था। साल पूरा-पूरा होते वह बीस हज़ार तक पहुँचेगा। अगर वह लड़कियों की फीस एक-एक रुपया बढ़ा दे, तो पाँच सौ रुपये की आमदनी बढ़ सकती है। होस्टल की फीस दो-दो रुपये बढ़ा दे, तो पाँच सौ रुपये और आ सकते हैं। इस तरह वह आश्रम की आमदनी में बारह हज़ार सालाना की बढ़ती कर सकता है; लेकिन फिर उसका वह आदर्श कहाँ रहेगा कि गरीबों की लड़कियों को नाममात्र फीस लेकर ऊँची शिक्षा दी जाए!

काश, उसे ऐसी अध्यापिकाओं की काफ़ी तादाद मिल जाती जो केवल गुजारे पर काम करतीं। क्या इतने बड़े देश में ऐसी दस-बीस पढ़ी-लिखी देवियाँ भी नहीं हैं? उसने कई बार अखबारों में यह जरूरत छपवाई थी, मगर आज तक किसी ने जवाब न दिया। अब फीस बढ़ाने के सिवा उसके लिए कौन-सा रास्ता है?

इसी वक्त उसके द्वार के सामने एक ताँगा आकर रुका और एक महिला उतरकर बरामदे में आयी। विमल ने कमरे से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया और उन्हें अन्दर ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। देवीजी रूपवती तो न थीं, पर उनके मुख पर शिष्टता और कुलीनता की आभा जरूर थी। औसत कद, कोमल गात, चम्पई रंग, प्रसन्न मुख, खूब बनी-सँवरी हुई; मगर उस बनाव-सँवार में ही जैसे अभाव की झलक थी। विमल के लिए यह कोई नई बात न थी। जब से उसने सेवाश्रम खोला था, भले घरों की देवियाँ अकसर उससे मिलने आती रहती थीं।

देवीजी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा-पहले अपना नाम बता दूँ। मुझे मंजुला कहते हैं। मैंने कुछ दिन हुए, 'लीडर' में आपकी नोटिस देखी थी और उसी प्रयोजन से आपकी सेवा में आयी हूँ। यों तो आपसे मिलने का शौक बहुत दिनों से था; पर कोई अवसर न निकाल पाती थी, और बरबस आकर आपका कीमती समय नष्ट न करना चाहती थी। आपने जिस त्याग और तन्मयता से नारियों की सेवा की है, उसने आपके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा पैदा कर दी है कि मैं उसे प्रकट करूँ तो शायद आप खुशामद समझें। मेरे मन में भी इसी तरह की सेवा की इच्छा बहुत दिनों से है; पर जितना सोचती हूँ, उतना कर नहीं सकती। आपके प्रोत्साहन से सम्भव है; मैं भी कुछ कर सकूँ!

विमल मौन सेवकों में था। अपनी प्रशंसा उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। उसकी ठीक वही दशा हो जाती थी, जैसे कोई पानी में डुबकियाँ खा रहा हो। वह खुद किसी के मुँह पर उसकी तारीफ़ न करता था, इसलिए तारीफ़ के भूखे उसे तंगदिल समझते थे। वह पीठ के पीछे तारीफ़ करता था। हाँ, बुराइयाँ

वह मुँह पर करता था और दूसरों से भी यही आशा रखता था।

उसने अपना उखड़ा हुआ पाँव जमाते हुए कहा-यह तो बहुत अच्छी बात होगी। आप शौक से आएँ। सेवाश्रम की दशा तो आपको मालूम होगी?

‘मैं इस इरादे से यहाँ नहीं आयी हूँ।’

‘यह मैं पहले ही समझ गया था। मेरी यह आशा न थी। यों ही कह दिया। अच्छा, आपका मकान यहाँ है?’

मंजुला देवी का घर लखनऊ में है। जालन्धर के कन्या-विद्यालय में शिक्षा पायी है। अंग्रेजी में अच्छी लियाकत है। घर के काम-धन्धे में भी कुशल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हृदय में सेवा का उत्साह है। अगर ऐसी स्त्री सेवाश्रम का भार अपने ऊपर ले ले, तो क्या कहना!

मगर विमल के मन में एक प्रश्न उठा। पूछा-आपके पति भी आपके साथ रहेंगे?

साधारण-सा सवाल था; मगर मंजुला को नागवार लगा। बोली-जी नहीं। वह अपने घर रहेंगे। वह एक बैंक में नौकर हैं और अच्छा वेतन पाते हैं।

विमल के मन का प्रश्न और भी जटिल हो गया। जो आदमी अच्छा वेतन पाता है, उसकी पत्नी क्यों उससे अलग, काशी में रहना चाहती है?

केवल इतना मुँह से निकला-अच्छा!

मंजुला ने शायद उनके मन का भाव ताड़कर कहा-आपको यह कुछ अनोखी-सी बात लगती होगी, लेकिन क्या आपके खयाल में शादी का आशय यह है कि स्त्री को पुरुष के दामन में छिपी रहना चाहिए?

विमल ने जोश के साथ कहा-‘हर्गिज नहीं।’ ‘जब मैं अपनी जरूरतों को घटाकर सिर्फ़ तक पहुँचा सकती हूँ, तो किसी पर भार क्यों बनूँ?’

‘बेशक!’

‘हम दोनों में मतभेद है और उसके अनेक कारण हैं। मैं भक्ति और पूजा को मानव जीवन का सत्य समझती हूँ। वह इसे लचर समझते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर में भी उनका विश्वास नहीं है। मैं हिन्दू संस्कृति को सबसे ऊँचा समझती हूँ। उन्हें हमारी संस्कृति में ऐब-ही-ऐब नजर आते हैं। ऐसे आदमी के साथ मेरा निबाह कैसे हो सकता है।’

विमल खुद भक्ति और पूजा को ढोंग समझते थे, और इतनी सी बात पर किसी स्त्री का पुरुष से अलग हो जाना उनकी समझ में न आया। उन्हें ऐसी कई मिसालें याद थीं, जहाँ स्त्रियों ने पति के विधर्मी हो जाने पर भी अपने व्रत का पालन किया। इस समस्या का व्यावहारिक अंग ही उनके सामने था। पूछा-उन्हें कोई आपत्ति तो न होगी?

मंजुला ने गर्व के साथ कहा-मैं ऐसी आपत्तियों की परवाह नहीं करती। अगर पुरुष स्वतन्त्र है, तो स्त्री भी स्वतन्त्र है।

फिर उसने नर्म होकर करुण स्वर में कहा-यों कहिए कि हम और वह तीन साल से अलग हैं। रहते हैं एक ही मकान में; लेकिन बोलते नहीं। जब कभी वह बीमार पड़े हैं, मैंने उनकी तीमारदारी की है। उन पर कोई संकट आया है, तो मैंने उनसे सच्ची सहानुभूति की है; लेकिन मैं मर भी जाऊँ तो उन्हें दुःख न होगा। वह खुश ही होंगे कि गला छूट गया। वह मेरा पालन-पोषण करते हैं, इसलिए

उसका गला भर आया था। एक क्षण तक वह चुपचाप जमीन की ओर ताकती रही। फिर उसे भय हुआ कि कहीं विमल उसे हलका और ओछी न समझ रहा हो, जो अपने जीवन के गुप्त रहस्यों का ढिंढोरा पीटती फिरती है। इस भ्रम को विमल के मन से निकालना जरूरी था। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि आज तक किसी ने उसके मुँह से ये शब्द नहीं सुने, यहाँ तक कि उसने अपने मन की व्यथा कभी अपनी माता से भी नहीं कही। विमल वह पहले व्यक्ति है जिनसे उसने ये बातें कहने का साहस किया है और इसका कारण यही है कि वह जानती है; उनके दिल में दर्द है और एक स्त्री की विवशता का अन्दाजा कर सकते हैं।

विमल ने लजाते हुए कहा-यह आपकी कृपा है, जो मेरे बारे में ऐसा खयाल करती है।

और उनके मन में मंजुला के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बहुत दिनों के बाद उसे एक देवी नजर आयी, जो सिद्धान्त के लिए इतना साहस कर सकती है। वह खुद मन-ही-मन समाज से विद्रोह करता रहता था। सेवाश्रम भी उनके मानसिक विद्रोह का ही फल था। ऐसी स्त्री के हाथों में वह सेवाश्रम बड़ी खुशी से सौंप देगा। मंजुला इसके लिए तैयार होकर आयी थी।

मंजुला के जीवन में आत्मदान की मात्रा ही ज्यादा थी। देह को वह इस भावना की पूर्ति का साधन-मात्र समझती थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी विभूति भी उसे शान्ति न दे सकती थी। मिस्टर मेहरा से उसे केवल इसलिए अरुचि थी कि वह भी साधारण प्राणियों की भाँति भोग-विलास के प्रेमी थे। जीवन उनके लिए इच्छाओं में बहने का नाम था। स्वार्थ की सिद्धि में नीति या धर्म की बाधा उनके लिए असह्य थी। अगर उनमें कुछ उदारता होती और मंजुला से मतभेद होने पर भी वह उसकी भावनाओं का आदर करते और कम-से-कम मुख से ही उसमें सहयोग करते, तो मंजुला का जीवन सुखी होता; पर उस भले आदमी को पत्नी से जरा भी सहानुभूति न थी और वह हर एक अवसर

उसके मन में और कितनी ही बातें उठीं, मगर उसने ओठ बन्द कर लिये। इस आवेश में वह न जाने ज़्या-ज़्या बक जाएगी। अभी तक विमल ने शायद उसे देवी समझकर उसके सामने सिर झुकाया है। उससे दूर अवश्य रहा है; मगर इसलिए नहीं कि वह समीप आना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि अपनी सरलता में, अपनी साधना में, उसके समीप आने में झिझकता है, कि कहीं देवी को नागवार न गुजरे। विमल ने अपने मन में उसे जिस ऊँचे आसन पर बैठा दिया है उससे नीचे वह न आएगी। विमल को मालूम नहीं, वह कितना सात्विक, कितना विशालात्मा पुरुष है। ऐसे आदमी की स्मृति में हमेशा के लिए एक आकाश में उड़ने वाली, निष्कलंक, निष्कपट, सती की धुँधली छाया छोड़ जाना कितना बड़ा मोह है!

विमल एक क्षण वही

खड़ा प्रसन्न मन से

लड़कियों की बाल-

क्रीड़ा देखता रहा,

फिर आकर दज़्तर में

बैठ गया। ज़लर्क ने

कल की आयी हुई

डाक उसके सामने

रख दी। विमल ने

सारे पत्र एक-एक

करके खोले और

सरसरी तौर पर

पढ़कर रख दिये,

उसके मुख पर चिन्ता

और निराशा का

धूमिल रंग दौड़ गया।

उसने धन के लिए

समाचार-पत्रों में जो

अपील निकाली थी,

उसका कोई असर

नहीं हुआ? कैसे यह

संस्था चलेगी? लोग

ज्या इतने अनुदार

हैं? वह तन-मन से

इस काम में लगा

हुआ है। उसके पास

जो कुछ था वह सब

उसने इस आश्रम को

मेंट कर दी। अब

लोग उससे और ज्या

चाहते हैं? ज्या अब

भी वह उनकी दया

और विश्वास के

योग्य नहीं है?

पर उसके मार्ग में आकर खड़े हो जाते थे और मंजुला मन-ही-मन सिमटकर रह जाती थी। यहाँ तक कि उसकी भावनाएँ विकास का मार्ग न पाकर टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर जाने लगीं। अगर वह इस अभाव को कला का रूप दे सकती, तो उसकी आत्मा को उसमें शान्ति मिलती। जीवन में जो कुछ न मिला, उसे कला में पाकर वह प्रसन्न होती; मगर उसमें वह प्रतिभा, वह रचना-शक्ति न थी। और उसकी आत्मा पिंजड़े में बन्द पक्षी की भाँति हमेशा बेचैन रहती थी। उसका अहम्भाव इतना प्रच्छन्न हो गया था कि वह जीवन से विरक्त होकर बैठ सकती थी। वह अपने व्यक्तित्व को स्वतन्त्र और पृथक् रखना चाहती थी। उसे इसमें गर्व और उल्लास होता था कि वह भी कुछ है। वह केवल किसी वृक्ष पर फैलने वाली और उसके सहारे जीने वाली बेल नहीं है। उसकी अपनी अलग हस्ती है,

अपना अलग कार्यक्षेत्र है।

लेकिन यथार्थताओं के इस संसार में आकर उसे मालूम हुआ कि आत्मदान का जो आशय उसने समझ रखा था, वह सरासर ग़लत था। सेवाश्रम में ऐसे लोग अकसर आते रहते थे, जिनसे थोड़ी-सी खुशामद करके बहुत कुछ सहायता ली जा सकती थी; लेकिन मंजुला का आत्माभिमान खुशामद कर किसी तरह राजी न होता था। उनके यश-गान से भरे हुए अभिनन्दन-पत्र पढ़ना, उनके भवनों पर जाकर उन्हें सेवाश्रम के मुआयने का नेवता देना, या रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करना, ये ऐसे काम थे जिनसे उसे हार्दिक घृणा होती थी; लेकिन सेवाश्रम के संचालन का भार उस पर था और उसे अपने मन को दबाकर और कर्तव्य का आदर्श सामने रखकर यह सारी नाजबरदारियाँ करनी पड़ती थीं, यद्यपि वह इन विद्रोही भावों को मक़दूर-भर छिपाती थी। पर जिस काम में मन न हो, वहाँ उल्लास और उत्साह कहाँ से आये? जिन समझौतों से घबराकर वह भागी थी, वह यहाँ और भी विकृत रूप में उसका पीछा कर रहे थे। उसके मन में कटुता आती जाती थी और एकाग्र-सेवा की धुन मिटती जाती थी।

इसके विरुद्ध वह विमल को देखती थी कि उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वही सहास्य मुख, वही उत्सर्ग से भरा हुआ उद्ग्राव, वही क्रियाशील तन्मयता। छोटे-से-छोटे काम के लिए हमेशा हाज़िर, सेवाश्रम की कोई कन्या या अध्यापिका बीमार पड़ जाए, विमल उसकी तीमारदारी के लिए मौजूद है। सहानुभूति का न जाने कितना बड़ा कोष उसके पास है कि उसमें जरा भी क्षति नहीं आती। उसके मन में किसी प्रकार का सन्देह या संशय नहीं है। उसने एक रास्ता पकड़ लिया है, और उस पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। उसे विश्वास है, इसी रास्ते से वह अपने ध्येय पर पहुँचेगा। राह में जो यात्री मिल जाते हैं, उन्हें अपना संगी बना लेता है। जो कलेवा लेकर चला है, वह संगियों को बाँटकर खाने में आनन्द पाता है। उसे नित्य परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, खुशामदें करनी पड़ती हैं, अपमान सहने पड़ते हैं, अयोग्य व्यक्तियों के सामने सिर झुकाना पड़ता है, भीख माँगनी पड़ती है; मगर उसे गम नहीं। वह कभी निराश नहीं होता, कभी बुरा नहीं मानता। उसके अन्दर कोई ऐसी चीज है, जो हजारों ठोकरें खाने पर भी ज्यों-की-त्यों उछलती और दौड़ती रहती है। अध्यापिकाएँ अकसर साधारण-सी बातों पर शिकायतें करने लगती हैं, कभी-कभी रूठ जाती हैं और सेवाश्रम से विदा हो जाना चाहती हैं। अगर धोबन ने कपड़े खराब धोये या कहारिन ने उनकी साड़ी में दाग़ डाल दिये या चौकीदार ने उनके कुत्ते को दुल्कार दिया, या उनके कमरे में झाड़ू नहीं लगी, या ग्वाले ने दूध में पानी मिला दिया, तो इसमें सेवाश्रम के अधिकारियों का क्या दोष? मगर इन्हीं बातों पर यहाँ रोना-गाना मच जाता है, दुनिया सिर पर उठा ली जाती है। और विमल सेवक की भाँति अनुनय-विनय करके उनका गुस्सा ठण्डा करता है। उनकी घुड़कियाँ सुनता है और हँसकर रह जाता है। फल यह है कि अध्यापिकाओं की उस पर श्रद्धा होती जाती है। वह उसे अपना अफ़सर नहीं, अपना मित्र और बन्धु समझती हैं।

मगर मंजुला विमल से कुछ खिंची रहती है। कभी उससे कोई शिकायत नहीं करती, कभी उससे किसी मुआमले में सलाह नहीं लेती। यद्यपि वह दिल में समझती है कि जिस दुनियादारी को वह आत्मा का पतन कहकर उसे हेय समझती है, वह वास्तव में विकसित मानवता का ही रूप है, फिर भी अपने सिद्धान्त-प्रेम के अभिमान को तोड़ डालना उसके लिए कठिन है। और इस अभिमान के होते हुए भी विमल की विशुद्ध, निस्वार्थ व्यावहारिकता उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचती है। उसने साधारण मनुष्यों के विषय

में अनुभव से मन में जो सीमाएँ खींच ली थीं, विमल उनसे ऊपर था। उसमें स्वार्थ का लेश भी नहीं है। अभिमान उसे ब्रू भी नहीं गया है। उसके त्याग की कोई सीमा नहीं। मंजुला के आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य का यही सबसे ऊँचा आदर्श था; लेकिन विमल को उस आदर्श के समीप देखकर उसे एक प्रकार का हार का बोध होता था। आदर्श का महत्व इसी में है कि वह पहुँच के बाहर हो। अगर वह साध्य हो जाए, तो आदर्श ही क्यों रहे? मंजुला अपनी आदर्श-भावना को और ऊँचा बनाकर इस विचार में सन्तोष पाना चाहती है कि विमल अभी उस आदर्श से बहुत दूर है; लेकिन विमल जैसे जबरन उनका श्रद्धापात्र बनता जाता है, वह अपने को प्रवाह में बहने से रोकने के लिए लकड़ी का सहारा लेती है; पर उसके पैरों के साथ वह लकड़ी भी उखड़ जाती है, और वह फिर किसी दूसरी रोक की तलाश करने लगती है। और अन्त में उसे यह सहारा मिल जाता है।

उसने अपनी तीव्र दृष्टि में देख लिया है कि विमल उसकी कारगुजारियों से सन्तुष्ट नहीं है। फिर वह उससे शिकायत क्यों नहीं करता, उससे जवाब क्यों नहीं माँगता? उसी तीव्र दृष्टि से उसने यह भी ताड़ लिया है कि विमल



उसके रूप-रंग से अप्रभावित नहीं है। फिर यह शीतलता और उदासीनता क्यों? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कपटी या कायर है? औरों से वह कितना खुलकर मिलता है, कितनी हमदर्दी से पेश आता है, तो मंजुला से वह क्यों दूर-दूर रहता है? क्यों उससे ऊपरी मन से बातें करता है? वह पहले दिन का निष्कपट व्यवहार कहाँ गया? क्या वह यह दिखाना चाहता है कि मंजुला की उसे बिलकुल परवा नहीं है या उससे केवल इसलिए नाराज है कि धनियों की चौखट पर सिर नहीं झुकाती? यह खुशामद उसे मुबारक रहे। मंजुला सेवा करेगी; पर अपने आत्माभिमान को अछूता रखकर।

एक दिन प्रातःकाल मंजुला बगीचे में टहल रही थी कि विमल ने आकर उसे प्रणाम किया और उसे सूचना दी कि सेवाश्रम का वार्षिकोत्सव निकट आ रहा है। उसके लिए तैयारी करनी चाहिए।

मंजुला ने उदासीन भाव से पूछा-यह जलसा तो हर साल ही होता है।

विमल ने कहा-जी हाँ, हर साल; मगर अबकी ज्यादा समारोह से करने का विचार है।

‘मेरे किये जो कुछ हो सकता है, वह मैं भी करूँगी, हालाँकि आप जानते हैं, मैं इस विषय में ज्यादा निपुण नहीं हूँ।’

‘इसकी सफलता का सारा भार आप ही के ऊपर है।’

‘मेरे ऊपर?’

‘जी हाँ, आप चाहें तो यह आश्रम कहीं-से-कहीं पहुँच जाए’

‘मेरे विषय में आपका अनुमान ग़लत है।’

विमल ने विश्वास-भरे स्वर में कहा-मेरा अनुमान गलत है या आपका अनुमान गलत है; यह तो जल्द ही मालूम हुआ जाता है।

आज यह पहली प्रेरणा थी, जो विमल ने मंजुला से की। जिस दिन से उसने सेवाश्रम उसके हाथ में सौंपा था, उस दिन से कभी इस विषय में कोई आदेश न दिया था। उसे कभी इसका साहस ही न हुआ। मुलाकातों में इधर-उधर की बातें होकर रह जातीं। शायद विमल समझता था कि मंजुला ने जो त्याग किया है, वह काफी से ज्यादा है। और उस पर अब और बोझ डालना जुल्म होगा। या शायद वह देख रहा था कि मंजुला का मन इस संस्था में रम जाए तो कुछ कहे। आज जो उसने विनय और आग्रह से भरा हुआ यह आदेश दिया तो मंजुला में एक नई स्फूर्ति दौड़ गयी। सेवाश्रम से ऐसा निजत्व उसे कभी न हुआ था। विमल से उसे जो दुर्भावनाएँ थीं, सब जैसे काई की तरह फट गईं और वह पूर्ण तन्मयता के साथ तैयारियों में लग गयी।

अब तक वह क्यों आश्रम से इतनी उदासीन थी इस पर उसे आश्चर्य होने लगा। एक सप्ताह तक वह रात-दिन मेहमानों के आदर-सत्कार में व्यस्त रही। खाने तक की फ़ुरसत न मिलती। दोपहर का खाना तीसरे पहर मिलता। कोई मेहमान किसी गाड़ी से आता, कोई किसी गाड़ी से। अक्सर उसे रात को भी स्टेशन जाना पड़ता। उस पर तरह-तरह के करतबों का रिहसल भी कराना पड़ता। अपने भाषण की तैयारी अलग। इस साधना का पुरस्कार तो मिला, कि जलसा हर एक दृष्टि से सफल रहा और कई हज़ार की रकम चन्दे में मिल गयी। मगर जिस

दिन मेहमान रखसत हुए उसी दिन मंजुला को नये मेहमान का स्वागत करना पड़ा, जिसने तीन दिन तक उसे सिर न उठाने दिया। ऐसा बुखार उसे कभी न आया था। तीन ही दिन में ऐसी हो गयी, जैसे बरसों की बीमार हो।

विमल भी दौड़-धूप में लगा हुआ था। पहले तो कई दिन पण्डाल बनवाने और मेहमानों की दावत का इन्तजाम करने में लगा रहा। जलसा खत्म हो जाने पर जहाँ-जहाँ से जो सामान आये थे उन्हें सहेज-सहेजकर लौटाने की पड़ गयी। मंजुला को धन्यवाद देने भी न आ सका, किसी ने कहा ज़रूर कि देवी जी बीमार हैं, मगर उसने समझा, थकान से कुछ हारारत हो आयी होगी, ज्यादा परवा न की। लेकिन चौथे दिन खबर मिली कि बुखार अभी तक नहीं उतरा और बड़े जोर का है, तो वह बदहवास दौड़ा हुआ आया और अपराधी-भाव से उसके सामने खड़ा होकर बोला-अब कैसी तबीयत है? आपने मुझे बुला क्यों न लिया?

मंजुला को ऐसा जान पड़ा कि जैसे एकाएक बुखार हल्का हो गया है। सिर का दर्द भी कुछ शान्त हुआ जान पड़ा। लेटे-लेटे विवश आँखों से ताकती हुई बोली-बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं? फिर मुझे भी उठना पड़ेगा।

विमल ने इस भाव से देखा मानो उसका बस होता, तो यह सारा ताप और दर्द खुद ले लेता। फिर आग्रह से बोला-नहीं-नहीं, आप लेटी रहें, मैं बैठ जाता हूँ। इसका अपराधी मैं हूँ। मैंने ही आपको इस जहमत में डाला। मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपसे वह काम लिया जो मुझे खुद करना चाहिये था। मैं अभी जाकर डाक्टर को बुला लाता हूँ। क्या

कहूँ, मुझे जरा भी खबर न हुई। फ़िज़ूल के कामों में ऐसा फँसा रहा....

और उसने पीठ फेरी ही थी कि मंजुला ने हाथ उठाकर मना करते हुए कहा-नहीं-नहीं; डाक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। आप जरा भी परेशान न हों। मैं बिलकुल अच्छी हूँ। कल तक उठ बैठूँगी।

उसके मन में और कितनी ही बातें उठीं, मगर उसने ओठ बन्द कर लिये। इस आवेश में वह न जाने क्या-क्या बक जाएगी। अभी तक विमल ने शायद उसे देवी समझकर उसके सामने सिर झुकाया है। उससे दूर अवश्य रहा है; मगर इसलिए नहीं कि वह समीप आना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि अपनी सरलता में, अपनी साधना में, उसके समीप आने में झिझकता है, कि कहीं देवी को नागवार न गुजरे। विमल ने अपने मन में उसे जिस ऊँचे आसन पर बैठा दिया है उससे नीचे वह न आएगी। विमल को मालूम नहीं, वह कितना सात्विक, कितना विशालात्मा पुरुष है। ऐसे आदमी की स्मृति में हमेशा के लिए एक आकाश में उड़ने वाली, निष्कलंक, निष्कपट, सती की धुंधली छाया छोड़ जाना कितना बड़ा मोह है!

उसने विनोद-भाव से कहा-हाँ; क्यों नहीं; क्योंकि आप तो मनुष्य हैं और मैं काठ की पुतली।

‘नहीं आप देवी हैं।’

‘नहीं, एक नादान औरत।’

‘आपने जो कुछ कर दिखाया, वह मैं सौ जन्म लेकर भी न कर सकता था।’

‘उसका कारण भी आपने सोचा? यह स्त्री की विजय नहीं, उसकी हार है। अगर इन दोषों के साथ मैं स्त्री न होकर पुरुष होती, तो शायद इसकी चौथाई सफलता भी न मिलती। यह मेरी जीत नहीं, मेरी नारीत्व की जीत है। रूप तो असार वस्तु है, जिसकी कोई हकीकत नहीं। वह धोखा है, फरेब है, दुर्बलताओं के छिपाने का परदा मात्र!’

विमल ने आवेश में कहा-यह आप क्या कहती हैं मंजुला देवी! रूप संसार का सबसे बड़ा सत्य है। रूप को भयंकर समझकर हमारे महात्माओं और पण्डितों ने दुनिया के साथ घोर अन्याय किया है।

मंजुला की सुन्दर छवि गर्व के प्रकाश से चमक उठी। रूप को असत्य समझने के प्रयास में सदैव असफल रही थी। और अपनी निष्ठा और भक्ति से मानो अपने रूप का प्रायश्चित्त कर रही थी। उसी रूप के इस समर्थन ने एक क्षण के लिए उसे मुग्ध कर दिया मगर वह संभलकर बोली-आप धोखे में हैं, विमल बाबू, मुझे क्षमा कीजिएगा; मगर यह रूप की उपासना आपमें कोई नई बात नहीं है। मरदों ने हमेशा रूप की उपासना की है। थोड़े पण्डितों या महात्माओं ने चाहे रूप की निन्दा की हो, पर मरदों ने प्रायः रूपासक्ति ही का प्रमाण दिया है। यहाँ तक कि रूप के लिए धर्म की परवा नहीं की और उन पण्डितों और महात्माओं ने भी जबान या कलम से चाहे रूप के विरुद्ध विष उगला हो; लेकिन अन्तःकरण में वे भी उसकी पूजा करते हैं। जब कभी रूप ने उनकी परीक्षा की है उनकी तपस्या पर विजय पायी है। फिर भी जो असत्य है, वह असत्य ही रहेगा। रूप का आकर्षण केवल बाहरी आँखों के लिए है। ज्ञानियों की निगाह में उसका कोई मूल्य नहीं। कम-से-कम आपके मुख से मैं रूप का बखान नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं आपको देवतुल्य समझती हूँ और दिल से आप पर श्रद्धा रखती हूँ।

विमल विक्षिप्त-सा जमीन की तरफ़ हाक़त

पृष्ठ ९ का शेष...रहस्य....

रहा और बराबर ताकता ही चला गया; जैसे वह मूर्छावस्था में हो। फिर चौंककर उठा और अपराधियों की भाँति सिर झुकाये, सन्दिग्ध भाव से कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया।

और मंजुला निश्चिन्त बैठी रही।

उस दिन से एकाएक विमल का सारा उत्साह और कर्मण्यता जैसे ठण्डी पड़ गयी। जैसे उसमें अब अपना मुँह दिखलाने की हिम्मत नहीं है। मानों इस रहस्य का पर्दा खुल गया है और चारों तरफ उसकी हँसी उड़ रही है। वह अब सेवाश्रम में बहुत कम आता है और आता भी है, तो अध्यापिकाओं से कुछ बातचीत नहीं करता। सबसे जैसे मुँह चुराता फिरता है। मंजुला को मिलने का कोई अवसर नहीं देता, और जब मंजुला हारकर उसके घर जाती है, तो कहला देता है, घर में नहीं है, हालाँकि वह घर में छिपा बैठा रहता है।

और मंजुला उसके मनोहरस्य को समझने में असमर्थ है। विमल ने अपनी साधना और सद्भावना से उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, इसमें सन्देह नहीं। वह एक नारी की गहरी अन्तर्दृष्टि से देख रही है कि विमल भी उसका उपासक बन बैठा है ओर जरा भी प्रोत्साहन पाने पर अपने को उसके चरणों पर डाल देगा। उसने बरसों से जो जिन्दगी बसर की है उसमें प्रेम नहीं है सेवा और कर्तव्य का दामन पकड़कर भी उसे अपनी अपूर्णता का ज्ञान होता रहता है। जिस पुरुष में उसका प्रेम नहीं है, न विश्वास है, उसके प्रति वह किसी तरह का नैतिक या धार्मिक बन्धन नहीं स्वीकार करती।

वह अपने को स्वच्छन्द समझती है। चाहे समाज उसकी स्वच्छन्दता न माने, पर उसकी आत्मा इस विषय में अपने को आजाद समझती है; मगर विमल की नज़रों में आदर और भक्ति पाने का मोह उसमें इतना प्रबल है कि वह उस स्वच्छन्दता की भावना को सिर नहीं उठाने देती।

वह विमल से संसर्ग की घनिष्ठता तो चाहती है; पर अपने आत्माभिमान की रक्षा करते हुए। इसके साथ ही विमल के पवित्र और निर्मल जीवन में वह दाग नहीं लगाना चाहती। उसने सोचा था, विमल को दवा का हल्का-सा घूँट पिलाकर वह स्वस्थ कर देगी। वह स्वस्थ होकर उसके मनोद्यान में आएगा, फूलों को देखकर प्रसन्न होगा, हरी-हरी दूब पर लेटेगा, पक्षियों का गाना सुनेगा।

उससे वह इतना ही संसर्ग चाहती थी। दीपक के प्रकाश का आनन्द तो दीपक से दूर रहकर ही लिया जा सकता। उसे स्पर्श करके तो वह अपने को जला सकता है; मगर अब उसे मालूम हुआ कि दवा की वह घूँट बाधा को हरने के बदले एक दूसरा रोग पैदा कर गयी। विमल में निलेंप होकर रहने की शक्ति न थी। वह जिस चीज की ओर झुकता था, तन-मन से उसी का हो जाता था और जब खिंचता था, तो मानो नाता ही तोड़ लेता था। उसके इस नये व्यवहार को मंजुला अपना अपमान समझती है। और मन यहाँ से उचाट हो जाता है।

आखिर एक दिन उसने विमल को पकड़ ही लिया था। मंजुला जानती थी, विमल रोज दरिया किनारे सैर करने जाता है। एक दिन उसने वहीं जा घेरा और अपना इस्तीफा उसके हाथ में रख दिया।

विमल के गले में जैसे फाँसी पड़ गयी। जमीन की ओर ताकता हुआ बोला-ऐसा क्यों?

‘इसलिए कि मैं अपने को इस काम के योग्य नहीं पाती।’

‘संस्था तो खूब चल रही है?’

‘फिर भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती।’

‘मुझसे कोई अपराध हुआ है?’

‘आप अपने दिल से पूछिए।’

विमल ने इस वाक्य का वह आशय समझ लिया, जो मंजुला की कल्पना से भी कोसों दूर था। उसके मुख का रंग उड़ गया, जैसे रक्त की गति बन्द हो गयी हो। इसका उसके पास कोई जवाब न था। ऐसा फैसला था जिसकी कहीं अपील न थी।

आहत स्वर में बोला-जैसी आपकी इच्छा। मुझ पर दया कीजिए।

मंजुला ने आर्द्र होकर कहा-तो मैं चली जाऊँ?

‘जैसे आपकी इच्छा!’

और वह जैसे गले का फन्दा छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। मंजुला करुण नेत्रों से उसे देखती रही, मानो सामने कोई नौका डूबी जा रही हो।

चाबुक खाकर विमल फिर सेवाश्रम की गाड़ी में जुत गया। कह दिया गया मंजुला देवी के पति बीमार थे। चली गयीं। काम-काजी आदमी प्रेम का रोग नहीं पालता, उसे कविता करने और प्रेम-पत्र लिखने और ठण्डी आहें भरने की कहाँ फुरसत? उसके सामने तो कर्तव्य है, प्रगति की इच्छा है, आदर्श है। विमल भी काम-धन्धे में लग गया। हाँ, कभी-कभी एकान्त में मंजुला की याद आ जाती थी और लज्जा से उसका मस्तक आप-ही-आप झुक जाता था। उसे हमेशा के लिए सबक मिल गया था। ऐसी सती-साध्वी के प्रति उसने कितनी बेहूदगी की!

तीन साल गुजर गये थे। गर्मियों के दिन थे। विमल अबकी मंसूरी की सैर करने गया हुआ था और एक होस्टल में ठहरा था। एक दिन बैण्ड स्टैण्ड के समीप खड़ा बैण्ड सुन रहा था कि बगल की एक बेंच पर मंजुला बैठी नजर आयी, आभूषणों और रंगों से जगमगाती हुई। उसके पास ही एक युवक कोट-पैण्ट पहने बैठा हुआ था। दोनो मुस्करा-मुस्कराकर बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे खिले, दोनों प्रेम के नशे में मस्त। विमल के मन में सवाल उठा, यह युवक कौन है? मंजुला का पति नहीं हो सकता। या संभव है, उसका पति ही हो। दम्पति में अब मेल हो गया हो। उसे मंजुला के सामने जाने का साहस न हुआ।

दूसरे दिन वह एक अँगरेजी तमाशा देखने सिनेमा हॉल गया था। इण्टरवल में बाहर निकला तो केफे में फिर मंजुला दिखायी दी। सिर से पाँव तक अँग्रेजी पहनावे में। वही कल वाला युवक आज भी उसके साथ था। आज विमल से जब्त न हो सका। इसके पहले कि वह मन में कुछ निश्चय कर सके, वह मंजुला के सामने खड़ा था।

मंजुला उसे देखते ही सन्नाटे में आ गयी। मुँह पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, मगर एक ही क्षण में उसने अपने आप को सँभाल लिया और मुस्कराकर बोली-हल्लो, विमल बाबू! आप यहाँ कैसे?

और उसने उस नवयुवक से विमल का परिचय कराया-आप महात्मा पुरुष हैं, काशी के सेवाश्रम के संचालक और यह मेरे मित्र मि० खन्ना हैं जो अभी हाल में इंग्लैंड से आयी०सी०एफ० होकर आये हैं।

दोनों आदमियों ने हाथ मिलाए। मंजुला ने पूछा-सेवाश्रम तो खूब चल रहा है। मैंने उसकी वार्षिक रिपोर्ट पत्रों में पढ़ी थी। आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं?

विमल ने अपने होटल का नाम बतलाया।

खेल फिर शुरू हो गया। खन्ना ने कहा-खेल शुरू हो गया, चलो अन्दर चलें।

मंजुला ने कहा-तुम जाकर देखो, मैं जरा मिस्टर विमल से बातें करूँगी।

खन्ना ने विमल को जलती हुई आँखों से देखा और अकड़ता हुआ अन्दर चला गया। मंजुला और विमल बाहर आकर हरी-हरी घास पर बैठ गये। विमल का हृदय गर्व से फूला हुआ था। आशामय उल्लास की चाँदनी-सी हृदय पर छिटकी हुई थी।

मंजुला ने गम्भीर स्वर में पूछा-आपको मेरी याद काहे को आयी होगी। कई बार इच्छा हुई कि आपको पत्र लिखूँ, लेकिन संकोच के मारे न लिख सकी। आप मजे में तो थे।

विमल को उसका यह उलाहना बुरा लगा। कहाँ अभी हास्य-विनोद में मग्न थी, कहाँ उसे देखते ही गम्भीरता की पुतली बन गयी। रूखे स्वर में बोला-हाँ, बहुत अच्छी तरह था। आप तो आराम से थीं?

मंजुला आर्द्र कण्ठ से बोली-मेरे भाग्य में तो आराम लिखा ही नहीं है, मिस्टर विमल। पिछले साल पति का देहान्त हो गया। उन्होंने जितनी जायदाद छोड़ी उससे ज्यादा कर्ज छोड़ा। इन्हीं उलझनों में पड़ी रही। स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। डाक्टरों ने पहाड़ पर रहने की सलाह दी। तब से यहीं पड़ी हुई हूँ।

‘आपने मुझे खत तक न लिखा।’

‘आपके सिर यों ही क्या कम बोझ है कि मैं अपनी चिन्ताओं का भार भी रख देती?’

‘फिर भी एक मित्र के नाते मुझे खबर तो देनी ही थी।’

मंजुला ने स्वर में श्रद्धा भरकर कहा-आपका काम इन झगड़ों में पड़ना नहीं है, विमल बाबू। आपको ईश्वर ने सेवा और त्याग के लिए रचा है। वही आपका क्षेत्र है। मैं जानती हूँ, आपकी मुझ पर दयादृष्टि है। मैं कह नहीं सकती, मेरी नज़रों में उसका कितना मूल्य है।

जिसे कभी दया और प्रेम न मिला हो वह इनकी ओर लपके तो क्षमा के योग्य है। आप समझ सकते हैं, उनका परित्याग करके मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी की है; मगर मैंने इसी को अपना कर्तव्य समझा। मैं सब कुछ सह लूँगी; पर आपको देवत्व के ऊँचे आसन से नीचे न गिराऊँगी। आप ज्ञानी हैं, संसार के सुख कितने अनित्य हैं, आप खूब जानते हैं। इनके प्रलोभन में न आइए। आप मनुष्य हैं। आप में भी इच्छाएँ हैं; वासनाएँ हैं; लेकिन इच्छाओं पर विजय पाकर ही आपने यह ऊँचा पद पाया है। उसकी रक्षा कीजिए। और अध्यात्म ही आपकी मदद कर सकता है। उसकी साधना से आपका जीवन सात्विक होगा और मन पवित्र होगा।

विमल ने अभी-अभी मंजुला को आमोद-प्रमोद में क्रीड़ा करते देखा था। खन्ना से उसका सम्बन्ध किस तरह का है, यह भी वह समझ रहा था। फिर भी इस उपदेश में उसे सच्ची सहानुभूति का सन्देश मिला। विलासिनी मंजुला उसे देवी के रूप में नजर आयी। उसके भीतर का अहंकार उसकी लोलुपता से बलवान् था। सद्भावना से भरकर बोला-देवीजी, आपने जिन शब्दों से मेरा सम्मान किया है उनके लिए आपका एहसानमन्द हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मंजुला ने उठते हुए कहा-आपकी कृपा-दृष्टि काफी है। उसी वक्त खन्ना सिनेमा-हॉल से बाहर आता दिखाई दिया।

अध्यात्म नाव तो बहुत दिन पहले की आ चुकी है और किनारे से बंधी है


रामकृष्ण के जीवन में महत्वपूर्ण उल्लेख है जो समझने योग्य है। रामकृष्ण प्रवचन देते होते थे। लेकिन बीच-बीच में उठकर वे घड़ी भर के लिए जाते थे बाहर और फिर लौट आते थे। शिष्य बड़े हैरान होते थे। और जो खास शिष्य थे, विवेकानंद और दूसरे लोग, उनको तो पता कि मामला क्या है। मामला यह था कि हर थोड़ी-बहुत देर में वे जाकर झाँक आते थे चौके में और पूछ आते थे शारदा से, उनकी पत्नी से कि आज क्या बना है? ब्रह्मचर्चा चल रही है मगर शारदा हलुआ बना रही है और हलुए की गंध आ रही है तो रामकृष्ण कहते कि भई, जरा रुकना, मैं आया। शारदा कहती कि देखो परमहंस देव, यह शोभनीय नहीं है। लोग क्या कहेंगे! कि ब्रह्मचर्चा छोटी पड़ जाती है और हलुए का अस्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? और एक-आध बार नहीं, तुम दो-तीन बार उठ-उठकर आते हो। और अब धीरे-धीरे सभी को पता चल गया है कि तुम जाते कहां हो। तुम किचन में जाते हो। रामकृष्ण हंसते और टाल देते। लेकिन एक दिन शारदा जिद पकड़ गयी और उसने कहा कि यह बदनामी मुझसे नहीं सही जाती। लोग आपसे तो कुछ नहीं कहते। हिम्मत नहीं है कहने की। लेकिन मेरी जान खाए जाते हैं कि कम से कम तुम तो उनकी पत्नी हो, तुम तो उन्हें समझा सकती हो कि जो कुछ भी बन रहा है, तुम्हारे लिए बन रहा है। जरा धीरज रखो। इतना समझाते हो लोगों को कि धीरज से रहो, शांति से रहो, अशांत न बनो और तू खुद जरा हलुए की गंध हवा में आयी कि भागे। रामकृष्ण ने कहा, तू नहीं मानती तो मैं तुझे कह देता हूँ। जिस दिन मैं नहीं आऊंगा उस दिन तू पछताएगी। और जब शारदा थाली लेकर आती उनके भोजन के लिए तो वे बच्चों जैसा व्यवहार करते। जल्दी उठकर खड़े हो जाते थाली में देखने को कि क्या-क्या बना हुआ है। जो-जो उन्हें ठीक लगता वे उसे चखकर भी देख लेते। शारदा कहती, तुम थोड़ा तो धीरज रखो। कम से कम मुझे थाली तो जमीन पर रख लेने दो। तुम्हारे लिए पटिया बिछाया है, उस पटिए पर बैठो। तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। थाली मैं खुद रख रही हूँ। आधा मिनट की देर नहीं होगी। और कोई यह देखेगा तो क्या कहेगा!

रामकृष्ण ने कहा, शारदा, तू मानती नहीं। जिस दिन तू थाली लेकर आएगी और मैं अपने बिस्तर पर करवट बदल लूंगा दूसरी तरफ और तेरी थाली को नहीं देखूंगा, समझ लेना कि तीन दिन और बचे हैं मेरी जिंदगी के। शारदा समझी कि वे मजाक कर रहे हैं। लेकिन यही हुआ। एक दिन शारदा रामकृष्ण के कमरे में प्रविष्ट हुई भोजन लेकर। रामकृष्ण न तो बिस्तर से उठे, न उन्होंने भोजन में कोई उत्सुकता ली, वरन दीवार की तरफ मुंह कर लिया। शारदा के हाथ से थाली गिर पड़ी। उसे याद आयी वह बात जो वर्षों पहले रामकृष्ण ने कही थी। रामकृष्ण ने कहा, अब थाली के गिराने न गिराने से कुछ भी न होगा। बस तीन दिन और हूँ। और आज तुझे कहता हूँ, क्यों तू बार-बार पूछती थी और मैं चुपचाप रह जाता था। आज तुझे कहता हूँ कि मेरे बंधन शरीर से छूट गए हैं। किसी तरह एक छोटे से बंधन को, रस के बंधन को, भोजन के बंधन को पकड़े हुए हूँ ताकि कितनी देर इस घाट पर रुक सकूँ, मेरे कुछ शिष्य जाग जाए ताकि मैं निश्चित विदा हो सकूँ। मेरी नाव तो बहुत दिन पहले की आ चुकी है और किनारे से बंधी है। मुझे तो पुकार आ चुकी है कि छोड़ो यह किनारा, तुम्हारा काम पूरा हो चुका। लेकिन मैं जानता हूँ कि शिष्य अभी बच्चे हैं, अप्रौढ़ हैं। उनमें से कोई तो प्रौढ़ हो जाए। और ठीक तीन दिन बाद रामकृष्ण की बात सत्य हो गयी।

जिसके जीवन में समाधि का अनुभव होता है उसके सारे संबंध क्षीण हो जाते हैं। फिर उन संबंधों को करुणावश अगर वह किसी तरह खींचतानकर बनाए रखे, तो ऐसी यह मूढ़ दुनिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके शिष्य ही उस पर ऐतराज उठाएंगे कि बंद करो, यह बात शोभा नहीं देती। और उन्हें पता नहीं है कि यह बात ही उस आदमी को जिंदा रखे है। वह सांस ले रहा है। और यह उनके लिए है, उनकी करुणा के लिए। उसका खुद का काम तो पूरा हो गया है। जब खुद का काम पूरा हो गया तो शरीर की कोई जरूरत नहीं हैं। फिर शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है? फिर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अपने आप बंद हो जाता है। फिर शरीर जगह-जगह से अपने कमजोर स्थानों से बीमारियों को प्रकट करने लगता है।

रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया था। यह जरा सोचने जैसी बात है। कोई जीवन की गहरी बातों पर सोचता ही नहीं है। क्योंकि यह आदमी भोजन के कारण अपने को रोके हुए था। नाव किनारे आ लगी थी उस पार ले जाने को। और इस आदमी ने तरकीब निकाल ली थी। किसी कारण अपने को रोकने की। अस्तित्व बड़ा रहस्यपूर्ण है। रामकृष्ण के गले को कैंसर हो गया। वे पानी भी नहीं पी सकते थे, खाना भी नहीं खा सकते थे। वह आखिरी बंधन को तोड़ने का उपाय था। नहीं तो वे नाव पर सवार ही नहीं होंगे। सबने उनसे प्रार्थना की कि आप तो उस अवस्था में हैं कि अगर अस्तित्व को कह दें कि हटा लो इस कैंसर को, तो यह हट जाएगा। क्यों हमें कष्ट दे रहे हैं? उनके भक्त, उनके प्रेमी, उनके शिष्य, दिन-रात भजन में, कीर्तन मग, संकीर्तन में संलग्न थे कि किसी तरह रामकृष्ण का गले का कैंसर दूर हो जाए। और उस समय तक तो कैंसर का कोई इलाज भी न था, कोई आपरेशन भी न था। आखिर फिर उन्होंने शारदा को कहा कि तुम्हीं कहो। वे कुछ सुनते नहीं। हम कहते हैं, वे मुस्कराते हैं। शारदा ने कहा, एक बात तो इनकी मान लो। इन्होंने जिंदगी भर तुम्हारी मानी है। इन सबकी कम से कम एक बार तो मान लो।

एक बार अस्तित्व से कहो कि हटा लो इस कैंसर को। और मैं यहां से नहीं हटूंगी। मैं यहां खड़ी हूँ। आंख बंद करो और कहो अस्तित्व से, कि हटा लो इस कैंसर को। रामकृष्ण ने आंख बंद की, थोड़ी देर बाद आंख खोली, हंसे आर शारदा से बोले, शारदा,मैंने कहा। तेरी बात नहीं टाल सकता हूँ। क्योंकि शारदा जैसी पत्नी पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अस्तित्व से उत्तर आया कि कब तक इसी गले पर निर्भर रहोगे? यह शरीर तो छूटना ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अब जिनको तुम प्रेम करते हो उनके गलों से भोजन करो, उनके गलों से पानी पीओ। अब इस गले का मोह छोड़ो। यह अपना और तुम्हारा, अब यह भेद छोड़ो। अब बोल...शारदा से उन्होंने कहा, मैं क्या कहूँ? अब मुझे और लज्जित मत करवा। उसी रात उनके प्राण निकल गए। लेकिन वे यह कह गए कि याद रखना, मैं तुम्हारे गलों का उपयोग करूंगा। आखिर तुम्हारे गले भी तो मेरे गले हैं। आखिर हम सब जुड़े हैं। और मेरी नाव को मैंने बहुत देर तक रोका है। और जरूरी था कि कोई उपाय किया जाए कि मैं नाव को न रोक सकूँ। और अस्तित्व हमेशा ईजादें कर लेता हैं। आदमी को औकात कितनी है? अस्तित्व के सामने आदमी की ताकत कितनी है? तो अब मैं चलूँ और पता लगाऊं कि क्या भोजन बन रहा है!



सिनेमा

सोनू सूद लाक डाउन में बना मसिहा

अपने 47 वे जन्मदिन के खास मौके पर उन्होंने अपने ट्विटर पर मजदूर भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने अपने ट्विटर पर बैनर साझा कर तीन लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का ऐलान किया है।

साल 2020 ऐसा आया कि हर कोई इस साल के जल्द से जल्द खत्म होने की इच्छा करने लगा। इस महामारी के दौर में इंसान न जाने कितनी परेशानियों से जूझ रहा हैं। कोरोना ने इंसान के स्वास्थ्य पर तो जो असर किया सो किया ही लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग इस समय में मानसिक और आर्थिक तंगी का शिकार हुए हैं। लोग खाने पीने से लेकर अपने परिवारवालों से मिलने तक को जब तरस गए थे तब इंसानियत का मसीहा बन कर एक शख्स सामने आया और सभी को यह एहसास दिलाया कि इंसान नियत सही हो तो अकेला इंसान सब कुछ कर सकता है उसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं। लोगों को तो धरती पर मानों जैसे उनका भगवान मिल गया हो और क्यों न कहें भला? कोई भी तकलीफ हो, कितनी भी बड़ी, सोनू उन सभी का समाधान जो कर देते हैं। इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए पहले भोजन पानी का इंतज़ाम किया, फिर उन्हें उनके परिवारों तक पहुँचाया है।

30 जुलाई को सोनू सूद ने अपना 47वां जन्मदिन मनाया। अपने जन्मदिन के खास मौके पर उन्होंने अपने ट्विटर पर गरीब मजदूर भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने अपने ट्विटर पर बैनर साझा कर तीन लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का ऐलान किया है। अपनी इस मुहिम को वह इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहे

राज्य बिहार और असम से शुरू करने वाले हैं।

इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए सोनू सूद ने एक वेबसाइट भी बनाई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए सोनू सूद ने जैसे ही यह ट्वीट साझा किया, सोशल मीडिया पर हर कोई एक बार फिर से उनका फैन हो गया। जन्मदिन के अवसर पर सोनू ने अपनी ओर से प्रवासी मजदूरों को यह गिफ्ट भेंट किया है। उनके रोज़गार देने के ऐलान पर सभी लोग उनकी तारीफ कर रहा है। असम और बिहार में कोरोना वायरस के साथ-साथ बाढ़ ने भी काफी कहर बरसाया के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन सभी की सोनू सूद हर तरीके से मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

सोनू से सोशल मीडिया हो या मोबाईल पर जो कोई भी मदद की सहायता चाह रहा है वे हर उस इंसान की सहायता कर रहे हैं। सोनू ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार की नया ट्रैक्टर तोहफे में देकर मदद की। वहीं उन्होंने लॉकडाउन में नौकरी खो चुकी इंजीनियर महिला को सब्जी बेचना देख मदद का हाथ बढ़ाया। सोनू को देखकर राहत इंदौर का एक शेर याद आ रहा है 'मैं तो पर्वतों से लडता रहा, लोग गिली मिट्टी खोदकर फरहाद हो गये'

गुनगुने पानी में डालकर सेवन करें।

लौंग के फायदे मुंह की दुर्गंध दूर करे—मुंह से बदबू आने पर कोई हमसे बात करना तो दूर बैठना पसंद भी नहीं करता है। ऐसे में हम अपनी इस समस्या से आराम पाने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दांतों का दर्द भी हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको रोजाना करीब 45 दिनों तक 1 से 2 साबुत लौंग का सेवन करना पड़ेगा।

चेहरे के दाग-धब्बे दूर—लौंग की मदद से अपने चेहरे सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। चेहरे पर होने वाले दाग-धब्बे या डार्क सर्कल जैसी आम समस्या के लिये लौंग की मदद मिल सकती है। इसके लिए पीसे हुए लौंग को किसी फेसपैक या बेसन में मिलाकर लगाकर थोड़ी देर सुखाये। इस बात का ख्यार रहे कि चेहरे पर सीधे तौर पर लौंग का प्रयोग न करें। ये काफी गर्म होता है और ऐसा करने पर इससे चेहरे पर जलन के साथ साथ एलर्जी भी हो सकती है।

बालों को झड़ने से रोके—बाल झड़ने और रुखेपन की समस्या से ज्यादातर लोग परेशान हैं। लौंग इसके लिये सबसे लाभकारी है। पानी में 4 से 5 लौंग को उबालकर इसके बाद हल्का ठंडा होने पर इसी पानी से अपने बालों को धोएं। इससे आपके बाल मजबूत मुलायम और चमकदार बनेंगे।

रतौंधी रोग होगा दूर—रतौंधी जैसे रोग से भी निजात दिलवाने में लौंग काफी मददगार है। इसके लिए पीसे हुए लौंग को बकरी या गाय के दूध में मिलाकर आँखों में काजल की तरह लगा ले। इससे आपका रतौंधी रोग धीरे धीरे सही हो जाएगा।

कु शोभा

स्वास्थ्य

लौंग-कई बीमारियों का इलाज



भारत देश रसोई में लौंग का बहुतायात से इस्तेमाल किया जाता है। इससे खाने का स्वाद ही नहीं बल्कि, अपनी सेहत को भी सेहतमंद बनाया जा सकता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाईयों में भी होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लौंग की मदद से कई बीमारियों से निजात मिल सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार छोटी-छोटी समस्या होने पर दवा एलोपैथी दवाईयों का का सेवन करना स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। दिनप्रतिदिन होने वाली छोटी-मोटी समस्याओं से राहत पाने के लिए हमारे घर में ही कुछ चीजे मौजूद होती हैं। इन्हीं में से एक लौंग हैं। लौंग के फायदे क्या है और इसकी मदद से आप कई तरह की तकलीफो से आराम पा सकेंगे, लौंग से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं...

सर्दी-जुकाम से राहत—सर्दी और जुकाम जैसी प्रायः होने वाली समस्या से निजात पाने के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जा सकता हैं। इसके लिए मुंह में कुछ देर के लिए एक लौंग रख लें। इससे आपके गले में होने वाले दर्द और सर्दी-जुकाम से निजात मिलेगी।

पेट में होने गैस की समस्या होगी दूर—खान-पान में होने वाली लापरवाही के कारण अक्सर गैस की समस्या होती है, तो ऐसे में एलोपैथी दवाओं का सेवन करना भी नुकसानदेह हो सकता है। इसके लिए आपके घर में मौजूद लौंग सबसे चमतकारी औषधि है। अगर गैस और कब्ज जैसी समस्या से परेशान हैं, तो इससे नितान्त पाने के लिए सुबह खाली पेट लौंग तेल की कुछ बूंदों को

‘गैंग’ मेरे खिलाफ अफवाह फैलाता है एआर रहमान



संगीतकार ए आर रहमान ने दावा किया बॉलीवुड में एक ऐसा ‘गैंग ’ (गिरोह) है जिसके कारण उन्हें काम मिलने में परेशानी आ रही है। रहमान की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिछले महीने आत्महत्या करने के बाद बॉलीवुड में “इनसाइडर और आउटसाइडर” (कलाकारों के बच्चे और बाहर से आने वाले कलाकारों) को लेकर बहस छिड़ी हुई है। रेडियो मिर्ची के साथ एक साक्षात्कार के दौरान ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक से हिंदी फिल्मों में उनके कम काम करने के पीछे की वजह पूछी गई थी इस पर रहमान ने कहा कि कुछ लोग उनके बारे में फिल्म जगत में ‘अफवाह’ फैला रहे हैं जिससे उनके और फिल्म निर्माताओं के बीच ‘गलतफहमी’ पैदा हो रही है।

उन्होंने कहा, “ मैं अच्छी फिल्मों को मना नहीं करता हूं लेकिन मेरा मानना है कि एक गैंग है जो कुछ अफवाह फैला रहा है और गलतफहमी पैदा हो रही है। इसलिए जब मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए तो मैंने उन्हें दो दिन में चार गाने दिए। उन्होंने मुझ से कहा, “सर, कई लोगों ने कहा कि उनके पास मत जाओ। उन्होंने मुझे कई किस्से सुनाए।” संगीत निर्देशक ने कहा, “ मैंने सुना और कहा—ठीक है, अब मैं समझा कि मुझे काम कम क्यों मिल रहा है और मेरे पास अच्छी फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं।...” रहमान ने राजपूत की आखिरी फिल्म ‘दिल बेचारा’ के लिए संगीत दिया है। यह फिल्म शुक्रवार को डिजनी हॉटस्टार पर प्रसारित हुई। इस फिल्म का निर्देशन मुकेश छाबड़ा ने किया है और इसमें संजना सांधी और सैफ अली खान हैं।

संगीतकार ने कहा कि वह लोगों की उम्मीदों से वाकिफ हैं लेकिन ‘गैंग’ रास्ते में आ रहा है। रहमान ने कहा, ‘कम लोग मुझे काम करते देखना चाहते हैं लेकिन लोगों का एक ऐसा भी गैंग है जो ऐसा होने नहीं दे रहा है। खैर मेरा विश्वास भाग्य में है। मेरा मानना है कि सबकुछ ऊपरवाले के जरिए आता है। इसलिए मैं अपनी फिल्में और दूसरे काम कर रहा हूं। लेकिन आप सभी मेरे पास आ सकते हैं, आप अच्छी फिल्में बना रहे हैं और आपका मेरे यहां स्वागत है।

पैरालिसिस से बचाव



पैरालिसिस को आमभाषा में इसे लकवा या पक्षाघात भी कहते हैं। यह स्वास्थ्य समस्या होने पर इंसान के शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है। यह इतनी गंभीर समस्या है कि अगर सही वक्त पर इसका उपचार ना हो तो व्यक्ति को लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ता है। यह समस्या गलत लाइफस्टाइल या तनाव के कारण ही नहीं होती, बल्कि कई अन्य समस्याएं जैसे हाई ब्लडप्रेसर, डाईविटीस, धूपपान, हार्ट संबंधी स्वास्थ्य समस्या, मोटापा व अधिक उम्र के कारण पैरालिसिस होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं—

नियमित व्यायाम—चिकित्सक कहते हैं कि वर्तमान समय तनाव हर व्यक्ति की जिंदगी का अंग बन गया है। व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए जरूरी है कि नियमित व्यायाम को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। वॉकिंग से लेकर जॉगिंग, एरोबिक्स, योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग, आदि कर सकते हैं। यह सभी एक्टिविटी आपको पैरालिसिस के साथ-साथ अन्य कई बीमारियों से बचाए रखने में मदद करेंगी।

नियमित दवाई का सेवन—अगर व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज जैसे कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उससे संबंधित दवाईयों का नियमित सेवन समय पर जरूर करें। हेल्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी स्वास्थ्य समस्या को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। यह सभी समस्या पैरालिसिस का कारण बन सकती हैं।

स्वस्थ जीवनचर्या—कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मददगार है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सतुलित एवं पौष्टिक भोजन लेने मात्र से ही आप पैरालिसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए घर के बने भोजन को और आहार में मौसमी फल, सब्जियों व हरी पत्तेदार सब्जियों को जगह दें। भोजन में नमक को नियंत्रित करना शुरू करें। संरक्षित आईटम व बाजार में मिलने वाले अचार से दूरी बनाएं, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। पानी पर्याप्त मात्रा में लें।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएम केयर्स फंड मामला

नई दिल्ली- केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय में पीएम केयर्स फंड का पुरजोर बचाव किया और कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए यह स्वैच्छिक योगदान का कोष है और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष तथा राज्य आपदा मोचन कोष के लिए बजट में किए गए आवंटन को हाथ भी नहीं लगाया गया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ के समक्ष केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड के बारे में बयान दिया। पीठ ने कोविड-19 महामारी के लिए इस कोष के तहत एकत्र धनराशि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में स्थानांतरित करने के लिए गैर-सरकारी संगठन की याचिका में किए गए अनुरोध पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। केन्द्र ने 28 मार्च को प्रधानमंत्री केयर्स फंड का गठन किया था।

इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारी जैसी किसी भी स्थिति से निबटने के लिए धन एकत्र करने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना



था। प्रधानमंत्री इस कोष के पदेन अध्यक्ष हैं जबकि रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन न्यासी हैं। गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटररेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक स्वैच्छिक कोष है जबकि एनडीआरएफ और एमडीआरएफ के लिए बजट के माध्यम से धन का आवंटन किया जाता है। याचिका में

पूछा गया कि फंड में कितने पैसे जमा हुए और कितने खर्च किए गए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड में दान देने वालों की भीड़-सी लग गई। उद्योगपतियों से लेकर बालीवुड अभिनेताओं ने खुलकर इसमें दान दिया। आम आदमी तक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए बनाए गए इस फंड में लगातार दान देते आ रहे हैं। यही वजह है कि अब तक इस राहत कोष में हजारों करोड़ रुपए एकत्र

हो चुके हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो यह सवाल कर रहे हैं कि जब पहले से ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड (पीएमएनआरएफ) मौजूद था तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? या दोनों में आखिर अंतर क्या है? दरअसल कॉरपोरेट मंत्रालय ने कहा है कि पीएम केयर फंड में जमा पैसे को सीएसआर (सीएसआर) माना जाएगा जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष में ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री भी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा राशि को भी सीएसआर माना जाए। लेकिन कारपोरेट मंत्रालय ने ऐसा करने से मना कर दिया है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड का बाकायदा सीएजी ऑडिट करती है जबकि पीएम केयर्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, विपक्षी पार्टियों की ओर से याचिका में पूछा गया है कि इस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन है और यह किस तरह काम करता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ट्रस्ट की निगरानी कोई एसआईटी करे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है।

रक्षा सौदे मामले में जया जेटली की सजा पर लगी रोक



नई दिल्ली-रक्षा सौदे भ्रष्टाचार के एक मामले में विशेष अदालत से चार साल की सजा पाने वाली समता पाटा की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को दिल्ली उच्च न्यायालय से उस समय बड़ी राहत मिली जब न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने जया जेटली की सजा पर रोक लगाने के साथ ही सजा को चुनौती देने वाली याचिका का पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जबाब मांगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज ही जया जेटली और उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगियों गोपाल पचेरलवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी मुरगई को 20 साल पुराने रक्षा सौदा भ्रष्टाचार मामले में 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। जया जेटली ने विशेष अदालत की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने विशेष अदालत से दोषियों को अधिकतम सात साल जेल की सजा देने का अदालत से अनुरोध किया था। सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र भट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी सुरेंद्र कुमार सुरेखा बाद में गवाह बन गया था। अदालत ने सजा के अलावा तीनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और दोपहर तीन बजे तक तीनों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

राजस्थान हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा

अगर पीड़ित को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई अपील दर्ज करने पर विचार न करे

न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने यह आदेश अधिनियम की धारा 15(3) और 15(5) के तहत पीड़ित को आरोपी के विरुद्ध जमानत या रिहाई जैसी किसी भी तरह की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के अधिकार के तहत दिया है।

अदालत ने अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर एक अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस अपील में विशेष जज के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें आरोपी-अपीलकर्ता की जमानत याचिका सीआरपीसी की धारा 439 के तहत रद्द कर दी गई थी। पीठ ने कहा, 'एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत नहीं देने के आदेश के विरुद्ध

दायर अपील पर सुनवाई पीड़ित/शिकायतकर्ता की अदालत में मौजूदगी की सूचना के बिना नहीं हो सकती।'

उसने अपीलकर्ता को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता/पीड़ित को इस मामले में पक्षकार-प्रतिवादी के रूप में शामिल करे और अब इस मामले की अगली होगी। हाल में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इसी तरह के मामले को लेकर विस्तृत निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, 'अदालत को जमानत याचिका सहित किसी भी तरह की सुनवाई में पीड़ित या उसके आश्रितों की राय को सुनने का मौका देना ही होगा।'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि एससी/

एसटी अधिनियम के तहत 'पीड़ित' में उस व्यक्ति के मां-बाप और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं जिनके विरुद्ध अपराध हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिया था -

'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 इस अधिनियम के तहत होनेवाली सुनवाई में पीड़ित या उसके उसके आश्रितों को सुनवाई में शामिल होने का अधिकार देता है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 की उपधारा 5 के तहत इस मामले की सुनवाई में पीड़ित या उसके आश्रित/प्रथम सूचना देनेवाले/शिकायतकर्ता/पीड़ित या उसके आश्रित को इस मामले में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश देकर पीड़ित या उसके आश्रितों/प्रथम सूचना देनेवाले/शिकायतकर्ता को अपने पैनल से वकील मुहैया कराएगी।

दंगा मामले-उपराज्यपाल ने वकीलों के पैनल पर दिल्ली मंत्रिमंडल के फैसले को पलटा



नई दिल्ली-दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दंगा मामलों में पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज करने के आप सरकार के फैसले को पलट दिया। एक आधिकारिक बयान में इस बारे में बताया गया। सरकार ने कहा कि संविधान के मुताबिक वह उपराज्यपाल के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य है। बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने गृह विभाग को वकीलों के पैनल के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्देश दिया है। हालांकि, उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तावित वकीलों के पैनल को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा संबंधी मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष सुनवाई में मदद नहीं मिलेगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गागर में सागर - सिन्हा

नई दिल्ली-भारत सरकार द्वारा निर्देशित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दी स्काउट्स/ गाइड्स ऑर्गनायजेशन के राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर राज के पी सिन्हा ने अपना विचार व्यक्त करते हुए इसे गागर में सागर बताया। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था में बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का पूरा ख्याल रखा गया है। कल तक जिन विषयों को एक्स्ट्रा वैरीकूलर ऐक्टिविटी कह कर टाल दिया जाता था आज उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस पुनीत कार्य के लिये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। उन्होंने आगे बताया कि इस नीति के तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी

प्रोपेशनल शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी दसवीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे।

बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं। जैसे साल में दो बार परीक्षाएं कराना, दो हिस्सों वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) और व्याख्यमक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। यह बहुत ही सार्थक प्रयास है जिस से युवाओं को काफी हद तक मदद मिल सकती है।

राफेल का भारत में स्वागत, लेकिन कीमत

1670 करोड़ क्यों-कांग्रेस

नई दिल्ली- कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का स्वागत किया और साथ ही यह भी कहा कि हर देशभक्त को यह पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपये का विमान 1670 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राफेल का भारत में स्वागत वायुसेना के जाबाज लड़ाकों को बधाई।

उन्होंने कहा, आज हर देशभक्त यह जरूर पूछे कि 526 करोड़ रुपये का एक राफेल अब 1670 करोड़ रुपये में क्यों? 126 राफेल की बजाय 36 राफेल ही क्यों? मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? भारतीय वायु सेना के लिए ऐतिहासिक क्षणों के बीच बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था भारत पहुंच गया।

फ्रांस से खरीदे गए ये राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर उतरे। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर इसकी कीमत को सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपये तय की थी लेकिन 'चौकीदार' महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है, बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जायेगी!!

'चौकीदार' जी अब तो उसकी कीमत बता दें। वर्ष 2019 के आम चुनाव में राफेल की कीमत का मुद्दा कांग्रेस ने जोरशोर से उठाया था। यहां तक कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी पहुंचा था। कांग्रेस सांसद ने

कहा, -आखिर राफेल फाइटर प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में संग्रम ने 2012 में पैसला लिया था और 18 राफेल को छोड़कर बाकी भारत सरकार की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्माण का प्रावधान था। यह भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ तय की गई थी। श्री सिंह ने आगे लिखा, मोदी सरकार आने के बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा व वित्त मंत्रालय व केबीनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का हक मार कर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय ले लिया।